

वार्षिक लेखा 2019-2020



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030

वार्षिक लेखा

2019-2020



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030

विषय सूची

क्र. सं.	लेखों का नाम	पृष्ठ संख्या	
		से	तक
1.	एनआईआरडी एवं पीआर लेखा	1	24
2.	हितकारी निधि लेखा	25	27
3.	भविष्य निधि लेखा	28	30
4.	एनआईआरडी एवं पीआर चिकित्सा संचित निधि लेखा	31	33
5.	लेखाकरण नीतियाँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ	34	36
6.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	37	40
7.	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के उत्तर	41	47

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2019-20	पिछला वर्ष 2018-19	भुगतान	चालू वर्ष 2019-20	पिछला वर्ष 2018-19
प्रारंभिक बैंक / नकद शेष	1664841300	1835420447	अनु.1 पूंजी लेखा		
			पूँजी अनुदान	305330378	100182398
अनु.2 आरक्षितताएं एवं अधिशेष	-	-	अनु.2 आरक्षितताएं एवं अधिशेष	-	-
अनु.3 चिन्हित निधि			अनु.3 चिन्हित निधि		
भवन निधि	12698261	10591059	भवन निधि	9891	-
संचित निधि	544,804,283	263420556	संचित निधि	45330721	32455
विकास निधि	7092258	11627307	विकास निधि	30	-
परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान	1,062,935,722	890527404	परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान	726,390,825	856569545
			पूँजी अनुदान - योजना	181,381	106119929
एमओआरडी से प्राप्त अनुदान सहायता	804240000	721724600			
अनु.4 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			अनु.4 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान		
यात्रा भत्ता वसूली	979170	-	यात्रा भत्ता वसूली	-	-
परामर्शी परियोजनाएं - एनआईआरडी	-	9	परामर्शी परियोजनाएं - एनआईआरडी	-	-
परामर्शी परियोजनाएं - एनईआरसी	40889106	5671636	परामर्शी परियोजनाएं - एनईआरसी	17746579	7140245
परामर्शी देयताएं	1966336	3465112	परामर्शी देयताएं	451757	2428396
देयताएं एवं प्रावधान	63578590	67337264	देयताएं एवं प्रावधान	142912182	125897244
पारगमन लेखा	112284808	100234374	पारगमन लेखा	120512099	94406801
अंतरण लेखा	301036259	174648923	अंतरण लेखा	448144046	199490381
परामर्शी - ब्याज	-	-	परामर्शी - ब्याज		
अनु.5 अचल आस्तियां			अनु.5 अचल आस्तियां	-	-
पी0014 पी-भवन एवं अन्य निर्माण कार्य	83517	36942	पी0014 पी-भवन एवं अन्य निर्माण कार्य	11687070	10006387
पी0014 पी-भवन एवं अन्य निर्माण कार्य - एनईआरसी	-	-	पी0014 पी-भवन एवं अन्य निर्माण कार्य - एनईआरसी	-	1676799
पी0019 पी-अन्य प्रभार अनावर्ती	120872	1137077	पी0019 पी-अन्य प्रभार अनावर्ती	16208710	10239971
पी0019 पी-अन्य प्रभार अनावर्ती - एनईआरसी	-	-	पी0019 पी-अन्य प्रभार अनावर्ती - एनईआरसी	843785	672796

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2019-20	पिछला वर्ष 2018-19	भुगतान	चालू वर्ष 2019-20	पिछला वर्ष 2018-19
पी0021 पुस्तकालय अनावर्ती	-	1690	पी0021 पुस्तकालय अनावर्ती	498685	860532
			पी0021 पुस्तकालय अनावर्ती - एनईआरसी	-	135958
			आरटीपी आस्तियां	-	1885012
			कार्य प्रगति पर - भवन	-	-
			वाहन	-	-
			सामान्य डब्ल्यू.आई.पी.	-	1098294
अनु.6 निवेश			अनु.6 निवेश		
एफ डी परामर्शी में निवेश	10412000	9000000	एफ डी परामर्शी में निवेश	11160000	10412000
एफ डी सामान्य खाते में निवेश	1453858442	1544640217	एफ डी सामान्य खाते में निवेश	1510215061	1700845452
चिह्नित निधि से निवेश	1,654,905,590	1975834804	चिह्नित निधि से निवेश	2579762816	2355103832
अनु.7 वर्तमान आस्तियां			अनु.7 वर्तमान आस्तियां		
जमा (आस्तियां)	-	-	जमा (आस्तियां)	5,667,117	38029178
ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी	687887	937452	ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी	2046249	2702965
परामर्शी आस्तियां	6666	65979	परामर्शी आस्तियां	1901937	124800
वर्तमान आस्तियां एवं अग्रिम	9175345	12630779	वर्तमान आस्तियां एवं अग्रिम	11713642	15459042
सामान्य लेखा एवं परियोजना पारगमन लेखा	175,612,717	121022282	सामान्य लेखा एवं परियोजना पारगमन लेखा	185,345,784	106082338
प्रत्यक्ष व्यय			प्रत्यक्ष व्यय		
स्थापना व्यय			स्थापना व्यय		
वेतन - शैक्षिक	18,548	434010	वेतन - शैक्षिक	139501364	127660095
वेतन - गैर शैक्षिक	482,346	243001	वेतन - गैर शैक्षिक	217233791	183589245
स्वास्थ्य केंद्र आवर्ती	316,987	75725	स्वास्थ्य केंद्र आवर्ती	9129738	12982658
स्वास्थ्य क्लब	234,514	178774	स्वास्थ्य क्लब	2495488	1870067
अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	180,677	333145	अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	2354162	1915163
भविष्य निधि के लिए संस्थान का योगदान	-	617	भविष्य निधि के लिए संस्थान का योगदान	7063856	9303363
अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	5,294,724	1818231	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	247707770	121764024

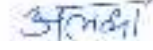
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2019-20	पिछला वर्ष 2018-19	भुगतान	चालू वर्ष 2019-20	पिछला वर्ष 2018-19
अन्य प्रशासनिक व्यय			अन्य प्रशासनिक व्यय		
यात्रा भत्ता	511098	326830	पूर्व अवधि का व्यय	4551601	-
अन्य प्रभार - आवर्ती	4121818	5201128	यात्रा भत्ता	2247440	6423034
बीवीबीवी / शिशु सदन आदि के लिए अनुदान	2900	-	अन्य प्रभार - आवर्ती	129539645	106348206
			बीवीबीवी / शिशु सदन आदि के लिए अनुदान	195000	420715
			बैंक प्रभार	7353	8805
क्रियाकलाप			क्रियाकलाप		
प्रशिक्षण कार्यक्रम	730634	409232	प्रशिक्षण कार्यक्रम	24504860	24057353
प्रकाशन	4039	236960	प्रकाशन	2713343	3758958
कार्य अनुसंधान	231837	648414	कार्य अनुसंधान	2879162	1597372
संकाय विकास	69696	61810	संकाय विकास	1341613	1254016
संपर्क	1955908	788153	संपर्क	18505958	13424559
ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क	5279320	3587184	ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क	29483103	24931916
अनुसंधान	3141874	661253	अनुसंधान	25699275	16417183
पुस्तकालय आवर्ती	376168	27419	पुस्तकालय आवर्ती	4165404	1348391
सेमिनार एवं सम्मेलन	156656	115665	सेमिनार एवं सम्मेलन	3701756	9623612
पीजीडीआरडीएम	312709	719444	पीजीडीआरडीएम	15646883	19233567
डीईसी कार्यक्रम	141738	-	डीईसी कार्यक्रम	1814068	2580583
अप्रत्यक्ष आय			अप्रत्यक्ष आय		
पत्रिकाओं के लिए अंशदान	247690	251688	पत्रिकाओं के लिए अंशदान	5240	11500
एनआईआरडी प्रकाशनों की बिक्री	53651	76165	एनआईआरडी प्रकाशनों की बिक्री	-	750
डीईसी कार्यक्रमों से शुल्क	1604694	1357237	डीईसी कार्यक्रमों से शुल्क	808682	9800
पीजीडीआरडीएम से शुल्क	45651350	27979917	पीजीडीआरडीएम से शुल्क	20144930	600
वाहनों का किराया	619763	653312	संस्थागत / सम्मेलन कक्ष प्रभार / संकाय लागत / अन्य	804503	6937245
संस्थागत/सम्मेलन कक्ष प्रभार/संकाय लागत/अन्य	142535946	130215043	बचत बैंक खाते पर ब्याज	-	-
ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज	1132344	678472	लाइसेंस शुल्क	12354	-
बचत बैंक खाते से ब्याज	16929256	20655544	विविध प्राप्ति	4120	48149
एन 0009 - जमा पर ब्याज - बिजली विभाग	-	-	स्थल कार्यक्रम	-	653952

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2019-20	पिछला वर्ष 2018-19	भुगतान	चालू वर्ष 2019-20	पिछला वर्ष 2018-19
लघु एवं दीर्घावधिक जमाओं पर ब्याज	99537248	151815010	ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज	4319	
लाइसेंस शुल्क	3625337	4632934			
विविध प्राप्तियां	6827924	5456995			
स्थल कार्यक्रम	500397	1003705			
एन0006 बंद परियोजनाओं के शेष / बचत	2894000				
			अंतः बैंक / नकद शेष	1,209,605,395	1,664,841,300
कुल	8,267,932,921	8,110,618,930	कुल	8,267,932,921	8,110,618,930


(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार


(अलका उपाध्याय)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2020 को तुलन पत्र

क्र. सं.	विवरण	अनु. संदर्भ	31-मार्च-2020	31-मार्च-2019
			रु.	रु.
I	पूंजी एवं देयताएं			
	संचित / पूंजी निधि	1	958131351	910212453
	आरक्षित एवं अधिशेष	2	-	-
	चिह्नित निधियां	3	5484587309	4836096935
	चालू देयताएं एवं प्रावधान	4	442453694	523501448
	कुल योग		6885172354	6269810836
II	आस्तियां			
	अचल आस्तियां	5	350773655	329732998
	निवेश	6	5035936069	4096227258
	चालू आस्तियां	7	1498462629	1843841968
	विविध व्यय		-	-
	कुल योग		6885172354	6269802224
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	20		
	आकस्मिक देयताएं और खातों पर नोट्स	21		

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

(अलका उपाध्याय)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

क्र. सं.		अनु.	31-मार्च 2020	31-मार्च-2019
			रु.	रु.
	आय			
I	अनुदान	8	783096755	705482371
II	अन्य आय			
	बिक्री / सेवाओं से आय	9	4611855	5795341
	शुल्क / अंशदान	10	26280343	29566942
	निवेशों से आय	11	81172637	119402003
	अर्जित ब्याज	12	1104845	641408
	अन्य आय	13	155098524	215179496
	कुल		268268204	370585190
	कुल योग (ए)		1051364959	1076067561
III	व्यय			
	स्टॉक में वृद्धि / (कमी)	14	1330770	(1922365)
	स्थापना व्यय	15	525360098	547463343
	अन्य प्रशासनिक व्यय	16	105100228	101739163
	क्रियाकलाप	17	115094741	100001908
	मूल्यहास	18	31659317	25758495
	कुल (बी)		778545154	773040544
V	व्यय पर आय की अधिकता (ए-बी)	19	272819805	303027018
	कुल योग		1084355046	1099903692
	जोड़ें: पूर्व अवधि मद		7228438	2713740
	घटाएं : पूर्व अवधि मद		4551601	3927347
	शेष अधिशेष होना /(कम होना) संचित		275496642	301813411
	/ पूंजी निधि में ले जाया गया			
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	20		
	आकस्मिक देयताएँ और खातों पर नोट्स	21		

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

(अलका उपाध्याय)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च, 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनु.	विवरण	संदर्भ सं.				31-मार्च-2020	31-मार्च-2019
अनु.1	संचित / पूंजी निधि						
	पूंजी निधि - सामान्य					937461334	889542436
	पूंजी निधि - आरटीपी					20670017	20670017
	वर्ष के अंत में शेष					958131351	910212453
अनु.2	आरक्षित एवं अधिशेष						
	पूंजी आरक्षित - (सहायता अनुदान)						
	भारत सरकार से प्राप्त उपहार						
	कुल					-	-
अनु.3	चिह्नित निधियां						
	i. पूंजीगत अनुदान - योजना				जोड़े	उपयोग	अंतःशेष
	ii. भवन निधि				15052107	60855041	448613370
	iii. संचित निधि				31549763	6599981	292628931
	iv. विकास निधि				546148633	91285356	2632108146
	v. परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान				8520918	7559727	94831916
	vi. सीपीजीएस आस्तियां				1276411479	1062892422	2016396334
					0	0	8612
	कुल				1877682900	1229192526	5484587309
					4836096936		4836096935

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च, 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

		समूह संदर्भ	31-मार्च-2020	31-मार्च- 2019
अनु.4	चालू देयताएँ और प्रावधान			
	परामर्शी परियोजना	एल4	53389078	41723543
	परामर्शी देयताएं	एल5	15369533	3544096
	देयताएं और प्रावधान	एल6	183489759	380059383
	पारगमन लेखा	एल7	10314158	8204672
	अंतरण लेखा	एल8	178865720	88944308
	अंतरण लेखा (परामर्शी)	एल8	1025446	1025446
	कुल		442453694	523501448
अनु.6	चिह्नित निधि से निवेश			
	सावधि जामओं में निवेश - परामर्शी		11330152	10412000
	सावधि जामओं में निवेश - सामान्य	ए6	1525168272	1464374442
	सावधि जामओं में निवेश - चिह्नित निधि से	ए6	3499437645	2621440816
	कुल		5035936069	4096227258
अनु.7	चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि			
	चालू आस्तियां और अग्रिम	ए4	197224553	103831941
	सामान्य लेखा और परियोजना पारगमन लेखा	ए4	8127831	446959
	ऋण और अग्रिम - कर्मचारी	ए4	8274572	5101319
	जमा (परिसंपत्ति)	ए5	12226568	26505418
	पारगमन लेखा	ए7	417679	1795757
	परामर्शी परिसंपत्ति	ए8	7886038	7327055
	अंतःशेष सामान्य लेखा	ए9	1157436891	1634648763
	अंतःशेष परामर्शी लेखा	ए10	52168502	30192537
	अंतरण लेखा	ए11	54699995	33992218
	कुल		1498462629	1843841968

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च, 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां
अनुसूचियां 5: अचल आस्तियां

क्र.सं.	विवरण	मूल्यहास दर	सकल ब्लॉक					मूल्यहास				निवल ब्लॉक		
			वर्ष के प्रारंभ में लागत	वर्ष के दौरान जोड़		बट्टे खाते में डाला हुआ मूल्य	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के लिए	घटाना	कुल	31-मार्च-20	31-मार्च-2019
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
				> 180 days	<180 days									
1	भूमि	0%	107,674,169		-	-	-	107,674,169	-	-	-	-	107,674,169	107,674,169
2	भूमि विकास	0%	598,266	-	-	-	-	598,266	-	-	-	-	598,266	598,266
3	भवन	10%	251,403,632	-	-	-	-	251,403,632	219,000,592	3,240,304	-	222,240,896	29,162,736	32,403,040
4	फर्नीचर एवं फिक्सचर	10%	45,328,547	5,136,041	1,709,920	-	6,845,961	52,174,508	32,554,368	1,876,518	-	34,430,886	17,743,622	12,774,179
5	कार्यालय उपकरण	15%	57,929,309	588,130	1,108,195	-	1,696,325	59,625,634	53,581,899	823,446	-	54,405,345	5,220,289	4,347,410
6	कंप्यूटर	40%	108,577,898	1,861,913	279,500	-	2,141,413	110,719,311	104,365,725	2,485,535	-	106,851,260	3,868,052	4,212,173
7	वाहन	15%	-	2,050,950	-	-	2,050,950	2,050,950	-	307,643	-	307,643	1,743,308	-
8	कटलरी, क्रॉकरी और भोजन कक्ष उपकरण		2,776,330	-	-	-	-	2,776,330	2,776,330	-	-	2,776,330	0	0
9	दृश्य श्रव्य उपकरण	15%	64,243,242	335,600	-	-	335,600	64,578,842	42,784,222	3,269,193	-	46,053,415	18,525,427	21,459,020
10	संयंत्र एवं मशीनरी	15%	11,182,692	2,130,636	238,540	-	2,369,176	13,551,868	6,559,497	1,030,965	-	7,590,462	5,961,406	4,623,195
11	सौर और नवीकरण ऊर्जा	40%	-	-	248,000	-	248,000	248,000	-	49,600	-	49,600	198,400	-
12	स्वास्थ्य क्लब	15%	1,615,102	250,092	-	-	250,092	1,865,194	1,061,465	120,559	-	1,182,024	683,170	553,637
13	पुस्तकालय पुस्तकें	40%	28,258,195	179,537	20,854	-	200,391	28,458,586	27,294,038	461,649	-	27,755,687	702,900	964,157
14	सीपीजीएस आस्तियां	15%	2,314,805	-	-	-	-	2,314,805	2,306,193	1,292	-	2,307,485	7,320	8,612
15	आरटीपी आस्तियां		63,748,345	-	-	-	-	63,748,345	55,371,693	906,584	-	56,278,277	7,470,068	8,376,652
16	एनईआरसी आस्तियां		18,564,654	491,270	352,515	-	843,785	19,408,439	10,776,655	1,303,223	-	12,079,878	7,328,561	7,787,999
17	भवन निधि													
	भवन	10%	219,346,194	4,982,825	5,819,967	-	10,802,792	230,148,986	142,301,661	8,493,734	-	150,795,395	79,353,591	77,044,533
	संयंत्र एवं मशीनरी	15%	17,449,073				-	17,449,073	16,212,860	185,432	-	16,398,292	1,050,781	1,236,213
18	योजना पूंजीगत परिसंपत्तियां		26,705,984	4,960,910	55,712,750	-	60,673,660	87,379,644	17,892,706	7,103,641	-	24,996,347	62,383,297	8,813,278
	कुल		1,027,716,437	22,967,904	65,490,241	-	88,458,145	1,116,174,582	734,839,904	31,659,317	-	766,499,221	349,675,361	292,876,533
19	सी-गार्ड आस्तियां		37,910,355	-	-	-	-	37,910,355	37,910,355	-	-	37,910,355	-	-
	योजना पूंजी कार्य प्रगति पर		35,766,783	-	-	35,766,783	-	-	-	-	-	-	-	35,766,783
	सामान्य कार्य प्रगति पर		1,098,294			-	-	1,098,294	-	-	-	-	1,098,294	1,098,294
	आरटीपी कार्य प्रगति पर		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग		1,102,491,869	22,967,904	65,490,241	35,766,783	88,458,145	1,155,183,231	772,750,259	31,659,317	-	804,409,576	350,773,655	329,741,610

नोट : भूमि पर विवरण के लिए कृपया लेखों पर टिप्पणी देखें

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के भाग के रूप में
अनुसूचियां

		31-मार्च-2020 रु.	31-मार्च-2019 रु.
अनु. 8	केन्द्र सरकार से अनुदान / उपदान		
	वेतन	513430000	521724600
	सामान्य	269666755	183757771
	कुल	783096755	705482371
अनु. 9	बिक्री / सेवाओं से आय		
	एनआईआरडी प्रकाशनों की बिक्री	62651	85137
	लाइसेंस शुल्क	3170344	4631897
	वाहनों का किराया	878463	728554
	स्थल कार्यक्रम	500397	349753
	कुल	4611855	5795341
अनु. 10	शुल्क / अंशदान		
	पत्र पत्रिकाओं का अंशदान	242450	240188
	पीजीडीआरडीएम से शुल्क	25251070	27979317
	डीईसी कार्यक्रमों से शुल्क	786823	1347437
	कुल	26280343	29566942
अनु. 11	चिह्नित निधि से निवेशों पर आय		
	लघु और दीर्घावधि जमा पर ब्याज	81172637	119402003
	एसबी खाते पर ब्याज	0	0
	कुल	81172637	119402003
अनु. 12	अर्जित ब्याज		
	ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज	1104845	641408
	कुल	1104845	641408
अनु. 13	अन्य आय		
	विविध प्राप्तियां	8823358	9849887
	संस्थागत / सम्मेलन कक्ष प्रभार / संकाय लागत / अन्य	146275166	205329610
	कुल	155098524	215179496
अनु. 14	स्टॉक में वृद्धि / (घटाव)		
	अंतः स्टॉक	7914343	9245113
	आरंभिक स्टॉक	9245113	7322748
	निवल वृद्धि / (घटाव)	1330770	(1922365)
अनु. 15	स्थापना व्यय		
	वेतन - शैक्षिक	122818991	137955295
	वेतन - गैर शैक्षिक	217178683	186250286
	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	159355379	198237253
	अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	3684476	2478573
	भविष्य निधि के लिए संस्थान का योगदान	10655119	8702426
	उप-कुल	513692648	533623833
	स्वास्थ्य केंद्र आवर्ती	9497350	12174228
	स्वास्थ्य क्लब	2170100	1665282
	कुल	525360098	547463343

		31-मार्च-2020 रु.	31-मार्च-2019 रु.
अनु. 16	अन्य प्रशासनिक व्यय		
	यात्रा भत्ता	1412565	6167310
	अन्य शुल्क - आवर्ती	103525563	95131138
	बीबीबीबी / शिशुसदन आदि को अनुदान	162100	440715
	कुल	105100228	101739163
अनु. 17	क्रियाकलाप		
	प्रशिक्षण कार्यक्रम	23561893	22860571
	प्रकाशन	2649037	3211735
	कार्य अनुसंधान	2497881	1079643
	संकाय विकास	1262480	1052070
	संपर्क	16416538	6740924
	ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क	23170203	19451277
	अनुसंधान	21487772	14120309
	पुस्तकालय आवर्ती	3790271	1597347
	सेमिनार और सम्मेलन	3108396	9113509
	पीजीडीआरडीएम	15523590	18196844
	डीईसी कार्यक्रम	1626680	2577679
	कुल	115094741	100001908
अनु. 18	मूल्यहास		
	पूँजीगत आस्तियों पर मूल्यहास	31659317	25758495
	कुल	31659317	25758495
अनु. 19	आईजीआर और अनुदान की कमी की पुनःप्राप्ति		
	कुल आईजीआर (अनु. 9,10,11,12 और 13)	275496642	373298930
	घटाव :		
	7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग प्रभाव के 30% के प्रति व्यय	0	35039683
	शेष आईजीआर	275496642	338259247
	आईजीआर से पुनः प्राप्त अनुदान की कमी /(अधिशेष)	0	36445837
	निवल आईजीआर	275496642	301813410

31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्र. सं.	समूह विवरण	मार्च 31, 2020 (रु.)	मार्च 31, 2019 (रु.)
अनुसूची	(एल 3) परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान		
	सीगार्ड परियोजनाएं		
1	सी1713 जीआईएस जीपीएस एवं कुल स्टेशन सहित आधुनिक प्रौद्योगिकी	171305	166302
2	सी1721 स्थानीय प्रौद्योगिकी द्वारा मूल्यांकन एवं परिवर्तन का पता लगाना	141994	156290
3	एस1611 डीएससीडब्ल्यूडी भुवनेश्वर प्रशिक्षण कार्यक्रम	70863	68794
4	एस1612 मडागास्कर में सी-गार्ड केंद्र की स्थापना	4619604	6982776
5	पी1614 पीसीडी भुवनेश्वर, ओडिशा सरकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम	(175601)	(170473)
6	एस1701 पीएमजीएसवाई पर एसटीपी - एनआरआरडीए	3086824	6055449
7	एस1713 भू-आईसीटी तकनीकों पर आधारित सतत विकास पहल	155824	157365
8	एस1720 गुणवत्ता पर सीसी सड़कों का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	6184106	545999
9	एस1721 टिहरी गढ़वाल के लिए एपीआईबी परियोजना उत्तराखंड	5788177	8054690
10	एस1722 आन्ध्र प्रदेश में स्पेक्ट्रल लाईब्रेरी जनरल और तुलना (एसएससी इसरो)	414002	347579
11	एस1805 ग्रामीण सड़क परियोजना पीजीजीएसवाई में भू-संस्चना	13304917	13152210
12	एस1808 एस आरआरडीए द्वारा कौशल विकास के लिए पी एमजीएसवाई	(3263)	0
13	एस1912 परामर्शी ग्रामीण सड़क एसएफए और पीएमजीएसवाई II	7955116	0
14	एस2138 4 जीआईएस केन्द्रों का गठन (सी-गार्ड)	(299)	0
15	एस2191 ढाका में सिडॉप आईसीटी केन्द्र की स्थापना	4649990	4522607
16	एस2391 ग्रामीण भारत के ऊर्जा संतुलन का अध्ययन - इसरो	780924	758118
17	एस2537- एपीआईबी - उत्तराखंड (उन्नयन)	363644	353025
18	एस2554 पीएमकेएसवाई पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी-गार्ड)	(192)	0
19	एस2557-ईडीपीआर एवं पीएमकेएसवाई की जियोहार्डिंगलाजी	(319512)	(310181)
20	एस2560 बिज्जू केवीके परियोजना, ओडिशा सरकार	(1126757)	(578860)
21	एस2567 पीएमकेएसवाई पर 2 दिवसीय कार्यशाला (सी-गार्ड)	202102	196200
22	एस2568 ग्रामीण सड़कों में स्पेस तकनीकों का अनुप्रयोग - सी-गार्ड	(121733)	(118178)
23	एस2571 ओडब्ल्यूडीएम ओडिशा द्वारा प्रायोजित पीएमकेएसवाई के तहत डीआईपी	1009262	979788
24	एस2581 मनरेगा में भू-कार्यान्वयन	57375397	56362580
25	एस2583 इसरो द्वारा ईपीआरआईएस परियोजना	797751	1484416
	डीडीयू जीकेवाई परियोजनाएं		
26	सावधि जमाओं पर ब्याज	6311859	0
27	एस2099 एसजीएसवाई बीपीएल युवा होशंगाबाद -एमपी- एआईएसईसीटी	50	50
28	एस2233 एनआरओ -डीडीयू जीकेवाई	(1322069)	15751417
29	एस2363 मुख्य शिक्षा एवं टेक्नोलॉजी लिमिटेड (एसजीएसवाई)	400000	400000
30	एस2381 श्री शक्ति एसोसिएशन (एसजीएसवाई/एसडीपी)	0	(54837)
31	एस2441 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (झारखंड)	6983	6983
32	एस2500-इंडिया कैन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड (असम-एस)	(673896)	(673896)
33	एस2546 आईआईएसडी (असम)	0	(710)
34	एस2574-मेसर्स कैप फाउंडेशन - हिमायत (जम्मू-कश्मीर देखें)	0	(5846)
35	एस2575-मेसर्स मास इन्फोटेक सोसायटी लिमिटेड-हिमायत (जम्मू-कश्मीर देखें)	0	(1871)

31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्र. सं.	समूह विवरण	मार्च 31, 2020 (रु.)	मार्च 31, 2019 (रु.)
	सामान्य		
36	सी1601 रणनीतिक संचार के लिए यूनिसेफ संस्थागत तंत्र	(1618)	0
37	एस2527 सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)	74434036	1521321
38	सी0120 पीएसआईजी कार्यक्रम एसआईडीबीआई -एमएसई द्वारा पहुंच में आसानी	499000	0
39	सी0220 यूबीए गांवों के लिए प्रस्ताव लेखन-आईआईटी दिल्ली	503460	0
40	सी1604 बहु क्षेत्रीय - यूएन महिलाएं	145385	141139
41	सी1701 एनएमडीसी आईवीडी के सीएसआर पहल	720862	702845
42	सी1702 कृषि अध्ययन केन्द्र का ईपीओ कक्ष	(441368)	(810778)
43	सी1703 शौचालय निर्माण का सीएसआर थर्ड पार्टी द्वारा लेखापरीक्षा	162407	265896
44	सी1704 सीएसआर गतिविधियों की मूल्यांकन रिपोर्ट	179709	187938
45	सी1708 कृषि उद्यमिता कार्यक्रम (बीआरएलपीएस)	393433	382111
46	सी1709 कृषि उद्यमिता एपी - एसईआरपी	1292715	7457671
47	सी1710 महाराष्ट्र में एसएफएसी एफपीओ का प्रशिक्षण	1107648	323104
48	सी1711 नीतिगत संचार आ.प्र. तेलंगाना, कर्नाटक यूनिसेफ	(307650)	1676317
49	सी1712 कार्यशाला सामाजिक मानदंड जानकारी हब -यूनिसेफ	26242	25476
50	सी1714 एसएचजी - बैंक संयोजन कार्यक्रम नाबाई	(59)	(684177)
51	सी1715 राष्ट्रीय स्वच्छता संसाधन केंद्र	(15212)	(127781)
52	सी1718 आ.प्र. में क्षेत्र विकास कार्यक्रम में स्नातक मॉडल का प्रभाव	120254	116742
53	सी1719 पोषण मूल्यांकन में सुधार हेतु कीस ओल्ड ब्लैक बाक्स - विकास पद्धतियां	986327	957523
54	सी1801 एनएमडीसी सीएसआर कार्यक्रम	(1338324)	(900985)
55	सी1803 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कर्नाटक राज्य	(93393)	(41789)
56	सी1805 यूबीए नियोजन संस्थानों द्वारा अपनाए गए वीसी	398090	0
57	सी1807 राष्ट्रीय पोषण - सीएचआरडी	1580044	320600
58	सी1810 कृषि उद्यमिता कार्यक्रम का मूल्यांकन	213449	(227245)
59	सी1811 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन	(9509)	(269091)
60	सी1812 जीएमआरवी फाउंडेशन की सीएसआर पहल का थर्ड पार्टी मूल्यांकन	89199	90485
61	सी1814 आईएमएमएनए प्रसार कार्यशाला	136230	163029
62	सी1815 शौचालय की मरम्मत पर सीएसआर एनएलसीआईएल 2018 लेखापरीक्षा	459767	518497
63	सी1816 सीएसआर - सैनितरी नैपकिन टीएस पर जागरूकता (बीडीएल)	3736658	5030381
64	सी1817-एसएचजी बीसी पाथवे परियोजना	995590	0
65	सी1901 नाबाई श्री निधि अध्ययन	28028	0
66	सी1902 आ.प्रदेश में एफपीओ/पीओपीआई के लिए आरएसए - नाबाई	2004376	0
67	सी1904 एलईडी सोलार स्ट्रीट लाइट एनएलसीआईएल का प्रभाव मूल्यांकन	(110758)	0
68	सी1905 एनआईआईआरडीपीआर में सीआरसी - सीजीएस की स्थापना	(187061)	0
69	सी1906 जीपीडीपी ग्वालियर के माध्यम से बच्चों के अनुकूल जीपी पर राष्ट्रीय सम्मेलन	121030	0
70	सी1907 कुपोषण को कम करना, खाद्य सुरक्षा- सीएसए	1024783	0
71	सी1909 एआर के लिए सतत विकास - जीपीडीपी- 10 क्लस्टर- एपी	4611347	0

31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्र. सं.	समूह विवरण	मार्च 31, 2020 (रु.)	मार्च 31, 2019 (रु.)
72	सी1910 श्रमिक उत्पादकता -सीडब्ल्यूई - यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग	1190555	0
73	सी1911 कृषि उद्यमिकर्ताओं के मेंटर्स के लिए परामर्श डब्ल्यूएस	535609	0
74	सी1912 मोबाइल फिल्म मेकिंग पर कार्यशाला	(57019)	0
75	एस0120 एमएसएमई उद्यमिता कौशल 20 करोड	200000000	0
76	एस0220 एमएसएमई उद्यमिता कौशल 2.35 करोड	23500000	0
77	एस 0320 पंचायत उद्यम सूट (पीईएस) अनुप्रयोग	1600658	0
78	एस1601 पीएमएजीवाई का मूल्यांकन (डीएसजे एवं ई)	(148675)	990803
79	एस1602 भारत पंचायत आईपीकेपी का संचालन	9195683	9244462
80	एस1604 जीपी और गांवों के लिए विकास सेवाओं पर आर.एस.	(131798)	543920
81	एस1606 झारखंड में निर्वाचित महिला पीआरआई का सीबी प्रशिक्षण	3869697	5469177
82	एस1607 मनरेगा उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन पर अध्ययन	60415	58651
83	एस1608 ई-सक्षम द्वारा पीआरआई के माध्यम से भारत का रूपांतरण	40222294	96211368
84	एस1609 ईटीपी पर मनरेगा का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव	253638	246231
85	एस1615 एकीकृत कार्य योजना, ओडिशा सरकार	(271858)	(263919)
86	एस1703 असम निर्वाचित महिलाओं का क्षमता निर्माण	(265716)	(257956)
87	एस1705 आरटीपी परियोजनाएं	(13592474)	7411157
88	एस1708 आईपीआरपी और लेखा परीक्षकों को एसटीपी (एनआरएलएम)	875177	366743
89	एस1709 एनआरएलएम - सीजीएसआरएलएम	1093758	1003452
90	एस1711 क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सीबी एण्ड टी	1107086	2936711
91	एस1712 एमकेएसपी परियोजनाओं का मध्यावधि मूल्यांकन	(3049231)	283024
92	एस1714 पीआर सांख्यिकी पर एचबी का प्रकाशन	1493823	1683007
93	एस1715 महिला बाल कल्याण विभाग के निदेशक	191256	0
94	एस1725 पीआरआई निकोबार के निर्वाचित प्रतिनिधि	279367	271208
95	एस1726 सतत ग्रामीण विकास के लिए भू जलवायु आधारित नवोन्मेषण	364744	297661
96	एस1801 12 राज्यों में एससीए से लेकर एससीएसपी तक पर अध्ययन (सीपीएमई)	374505	(1128101)
97	एस1802 आईईसी प्रभाग के लिए सलाहकारों की नियुक्ति	461062	654404
98	एस1803-राष्ट्रीय भू-स्थानिक व्यवसायिक योजना वित्तीय सहायता	(1125972)	1157014
99	एस1804 जीपीडीपी पर राष्ट्रीय कार्यशाला (सीपीआर)	171449	235993
100	एस1806 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 एपी कर्नाटक	246405	326427
101	एस1807 एपी में मनरेगा अनुसंधान अध्ययन	628961	618429
102	एस1809 झारखंड जेएसएलपीएस के लिए इंडक्शन और इमर्शन	2566015	2402114
103	एस1810 आरडी 01-21 अगस्त 18 पर आंतरिक लेखा परीक्षा पर सीपी	2764983	5188304
104	एस 1811 10-29 सितंबर, 2018 को ग्रा. वि के आंतरिक लेखापरीक्षा पर सीपी	(614941)	0
105	एस1812 पीआर में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (हि.प्र.) के लिए सीबी प्रशिक्षण कार्यक्रम	70137	20000000
106	एस1813 पीएमएवाई के तहत एपीटीआईडीसीओ सामाजिक लेखा परीक्षा	173730	(149194)

31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्र. सं.	समूह विवरण	मार्च 31, 2020 (रु.)	मार्च 31, 2019 (रु.)
107	एस1814 पीआर कार्यकर्ताओं के लिए समय और कार्य अध्ययन	218854	15359303
108	एस1825 परामर्श-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, वैशाली - कपार्ट	1549938	0
109	एस1815 राजस्थान एपी - मनरेगा के लिए प्रशिक्षण सह अध्ययन दौरा	1229454	1202156
110	एस1816 जैव विविधता संचालन पर तीसरा टीओटी	1856066	961105
111	एस1817 एफआईई पर प्रबंधन विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीएफआईई)	(200484)	(172895)
112	एस1818 जीपी में मिशन अंत्योदया पर अध्ययन -सीपीएमई	(2076515)	(1361954)
113	एस1819 5 राज्यों में एनएसएपी के तहत योजनाओं के लिए अग्रगामी सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन	1347439	398415
114	एस1820 सतत विकास में जल स्रोत प्रबंधन	(1808779)	1185429
115	एस1821 त्रिपुरा के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए प्रदर्शनी दौरा	935365	1262964
116	एस1822 जीपीडीपी की तैयारी में पीआर का सीबी एवं हैंडहोल्डिंग -सीपीआर	1793310	3094698
117	एस1823 जलागम परियोजना का मूल्यांकन 150एमडब्ल्यूएस -आरएलटीएपी-केबीके जिला	336298	337081
118	एस1824 जलागम परियोजना का मूल्यांकन एसीए 314 एमडब्ल्यूएस -आरएलटीएपी-केबीके	548574	566481
119	एस1826 अनुप्रयोग आधारभूत संरचना का विकास जीईओ-मनरेगा स्थानिक का पी एवं एम	12643973	12652471
120	एस1827 एसटीपी आरटीपी आरजीएसए छत्तीसगढ़ फरवरी-मार्च 2019	(440327)	(85965)
121	एस1828 ओडीएफ सततता -स्वच्छ भारत मिशन	886437	1238708
122	एस1829 जिला स्तर के कर्मचारियों का क्षमता निर्माण	(750724)	(601775)
123	एस1830 पीवीटीजी कर्मचारी 6 दिवसीय प्रदर्शनी प्रशिक्षण कार्यक्रम	109087	500384
124	एस1831 एसएलएसीसी में सीबी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	1012303	9919452
125	एस1832 नशीली दवाओं के दुरुपयोग और रोकथाम पर कार्यशाला	1963958	2216126
126	एस1833 उत्तराखंड के ईआर का प्रशिक्षण परिचयात्मक दौरा	4832750	0
127	एस1834 आईआईएच एवं पर्यावरण में गतिशीलता	(61107)	0
128	एस1835 प्रत्यक्ष प्रशिक्षकों के कौशल पर टीओटी और एसटीएआरपीएआरडी का डिजाईनिंग, पश्चिम बंगाल	1026089	320135
129	एस1836 एनईआर के IX के अलावा अन्य में क्षमता निर्माण	79506	5056438
130	एस 1901 परिचयात्मक दौरा - केरल के पीआरआई - डीएलजी - केआईएलए	197153	0
131	एस 1902 ग्रामीण आजीविका प्रभाग के लिए एसएलएसीसी-एलटीएसए - एमओआरडी	59520	0
132	एस 1903 वर्ष 2015-16 और 2016-2017 आ.प्र सरकार के लिए आरकेवीवाई परियोजनाओं का थर्ड पार्टी मूल्यांकन	(385685)	0
133	एस 1904 यूपीएसके के कार्यक्रम पर प्रभाव अध्ययन - सीएफआईई	269521	0
134	एस 1905 जलवायु परिवर्तन पर सिर्डाप की 34 वीं टीसी - जून 2019	(1260206)	0
135	एस 1906 एकपीआरआईजीपी प्रलेखन - एपीआरआई - डब्ल्यूडी और सीडब्ल्यू - सीएचआरडी	809663	0
136	एस 1907 लेह के नव निर्वाचित सरपंचों के लिए ऐक्सप और सीबी	(203073)	0
137	एस 1908 कर्नाटक के मैसूर जिला पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए जीपीडीपी संवेदी कार्यक्रम	412336	0
138	एस 1909 आरजीएसए के तहत एमओपीआर में एनपीएमयू की स्थापना	8060633	0
139	एस 1910 एसटीपी एमपी मिड कैरियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर -सीजीजीपीए	(68977)	0
140	एस 1911 नव निर्वाचित पीएसआरएलएम-एनआरएलएम कर्मचारियों का परिचयात्मक दौरा	793702	0
141	एस 1913 झारखंड के 133 जीपी में एआर सतत विकास जीपीडीपी	4523226	0
142	एस 1914 ठोस एवं तरल अपशिष्ट का ओडीएफ सतत प्रबंधन - एमपी	542372	0
143	एस 1915 महाराष्ट्र एवं तेलंगाना में एनएसए का प्रभाव प्रदर्शन	640948	0
144	एस 1916 यूवीए- एमएचआरडी- सीपीएमई पर मूल्यांकन	2813394	0
145	एस 1917 सीजीएसआरएलएम - एनआरएलएम के एसपीएम डीपीएम बीपीएम वाईपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम	1058386	0

31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्र. सं.	समूह विवरण	मार्च 31, 2020 (रु.)	मार्च 31, 2019 (रु.)
146	एस 1919 लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के बीडीसी अध्यक्षों के लिए एसटीपी - फरवरी 2020	(105)	0
147	एस 1921 उत्तराखंड के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण सह परिचय	345429	0
148	एस 1922 एसटीपी पीआरआई - त्रिशूल - केआईएलए - फरवरी 2020	307276	0
149	एस 1923 लद्दाख के बीडीसी अध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण सह परिचयात्मक दौरा	324293	0
150	एस2239- सिर्डीप प्रशिक्षण कार्यक्रम 2013-14	(6667867)	-147145
151	एस2428- केरल इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (केआईएलए)	36172746	35116369
152	एस2516 220 आईएवाई के प्रशिक्षण एवं प्रबंध के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	10800427	10485015
153	एस2518 प्रशिक्षण सह जागरूकता -नरेगा एवं आईएवाई (1-15/9/14)	6165	0
154	एस2523 लक्ष्य	409434	397477
155	एस2541 रूरबन मिशन (एसपीएमआरएम)	7199050	11554314
156	निष्क्रिय निर्धारित निधि	164190586	159395616
157	पी0006 (ए) - अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम -2013-14	27915929	20011796
158	पी0006 पी - प्रायोजित अनुसंधान परियोजना - एनईआरसी	(1475939)	(1475939)
159	पी0006 पी - प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम (भुगतान)	62405136	62405136
160	पी0006 पी - प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम (भुगतान) - एनईआरसी	9955540	5165316
161	एस0117 एस-यूएनडीपी उंचंत	(917637)	(917637)
162	एस0126 यूएनडीपी-13	3641064	3641064
163	एस2225 टॉलिक- हिन्दी	(3590)	(3525)
	परियोजना बैंक लेखा		
164	सीआरसीडीबी एवं एमआई	107332125	98235119
165	डीडीयू - जीकेवाई	96477896	61807624
166	एमजीएनआईआई	761476896	818935510
167	एमकेएसपी	8752743	8752743
168	एनआरएलएम आरसी	53959016	43782
169	पीएफएमएस3617	10057	0
170	पीएफएमएस3825	10057	0
171	पीएफएमएस796	10057	0
172	पीएफएमएस9179	10057	0
173	आरसेटी- एनआईआरडीपीआर	(72841325)	64195136
174	एसएलएसीसी	10122991	0
175	एसआरएससी- एनआईआरडीपीआर	98930577	92454887
176	संयुक्त यूएन वुमेन	28765	25055
177	प्राप्य के रूप में प्रदर्शित शेष (ए4 को अंतरित)	114668298	11542702
	कुल	2016396334	1802877277

31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्र. सं.	समूह विवरण	मार्च 31, 2020 (रु.)	मार्च 31, 2019 (रु.)
अनुसूची	(एल4) परामर्शी परियोजनाएं		
	एनआईआरडीपीआर - मुख्यालय		
1	सी0394 परिवार कल्याण कार्यक्रम पर पंचायत के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण	0	4229469
2	सी0432 इंडस आय सृजन घटक का प्रभाव	0	81701
3	सी0434 सामाजिक लेखा परीक्षा - समुदाय पर एक अग्रणी परियोजना	0	84000
4	सी0438 क्रियाविधि अफगानिस्तान अधिकारी	0	1008572
5	सी0439 अफगानिस्तान टीम (आरटीपी)	0	1283292
6	सी0444 यूएनडीपी (आईएल एवं एफएस) सीपीएमई	0	391372
7	सी0445 यमन गणतंत्र - सीआरसीडीबी	0	472698
8	सी0446 हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड - सीईएसडी	0	560891
9	सी0447-अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सह परिचय - नाइजरियन शिष्टमंडल	0	1923724
10	सी0449-बीएचआई के सतत अभिसरण मॉडलों का मूल्यांकन	0	184204
11	सी-0451-अफगानी पदाधिकारियों का परिचयात्मक दौरा (25.8.13)	0	100279
12	सी0452 -तमिलनाडु जलागम विकास अभिकरण - परामर्श	0	310518
13	सी0453 अग्रिम दूर संवेदी पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, गणतंत्र	0	465954
14	सी1707 अतिथि वक्ताओं को मानदेय	0	0
15	एस2398 - जलागम विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन अध्ययन	0	0
16	जेड0032- 100% वित्तीय समावेशन पर मूल्यांकन अध्ययन	0	0
	एनआईआरडीपीआर - क्षे. का.		
17	एटीएमए - सिक्किम - क्षे. का.	152427	152427
18	असम में पीएमएजीवाई बेसलाईन सर्वेक्षण	(162196)	(162196)
19	क्षमता निर्माण एचएच ओपी IX क्षेत्र एनईआई आरजीएसए - क्षे.का.	4509899	0
20	क्षमता निर्माण - प्रशिक्षण एन ई सी - एन आर एल एम - क्षे.का.	1893387	1893387
21	क्षमता निर्माण आरजीएसए एसआईआरडी - असम -क्षे.का.	(626696)	0
22	सी - गार्ड आधारभूत संरचना विकास (एनईसी) - क्षे.का.	2631546	2631546
23	असम द्वारा चीन मलेशिया का परिचयात्मक दौरा - क्षे.का.	(1665212)	(1665212)
24	परामर्शी जागरूकता क्षमता निर्माण ईआरएससीए त्रिपुरा -क्षे.का.	(145333)	0
25	परामर्शी - घाटी विकास प्रशिक्षण - मेघालय	1823710	1823710
26	परामर्शी - एनआरएलएम क्षे.का. एनईआरसी बैंक लेनदेन क्षे.का.	12846734	(833367)
27	परामर्शी - बीएलएस-पीएमएजीवाई-असम- क्षे.का.	1690159	1747961
28	परामर्शी - ईपीआरआईएस परियोजना - इसरो -क्षे.का.	(15806)	(15806)
29	परामर्शी - आईडब्ल्यूएमपी बी-II एवं III का विकास नागालैंड - क्षे.का.	585178	(120416)
30	परामर्शी - आईडब्ल्यूएमपी का विकास - त्रिपुरा बी-I - क्षे.का.	92203	(93204)
31	परामर्शी - पीईआर के असम - अंडमान एवं निकोबार द्वीप के लिए परिचयात्मक दौरा- क्षे.का.	81786	81786

31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्र. सं.	समूह विवरण	मार्च 31, 2020 (₹.)	मार्च 31, 2019 (₹.)
32	परामर्शी - दक्षिण कोरिया एवं जापान के लिए परिचयात्मक दौरा - क्ष.का.	670597	670597
33	परामर्शी - खाद्य प्रसंस्करण - एमएसआरएलएस - मेघालय - क्ष.का.	40953	0
34	परामर्शी - जीआईएस संसाधन मानचित्रण - क्ष.का.	510475	617621
35	परामर्शी - एचआईएससीओ परियोजना - क्ष.का.	6666	(18918)
36	परामर्शी - एनआईआरएमओवाई परियोजना - क्ष.का.	588851	588851
37	परामर्शी - एनआरएलएम क्ष.का. एनईआरसी परियोजना	3770483	3770483
38	परामर्शी - 10% पारिश्रमिक सभी परियोजनाएं - क्ष.का.	(688680)	(688680)
39	परामर्शी - आर आर सी - एमजीएनआरईजीएस असम - क्ष.का.	59117	(173383)
40	परामर्शी - असम करघा के अंतर्गत एसएचजी - क्ष.का.	(6154)	0
41	परामर्शी - एसएलएनए - त्रिपुरा - क्ष.का.	103480	103480
42	परामर्शी - ईएफआई के लिए पारंपरिक एवं एनएचवी फसलों की भूमिका पर अध्ययन	(53057)	486140
43	परामर्शी - अध्ययन - एमजीएनआरईजीएस - पी एवं आरडी असम - क्ष.का.	142724	142724
44	परामर्शी - जल संसाधन विभाग मेघालय - क्ष.का.	(33438)	(33438)
45	डीडीयू-जीकेवाई - क्ष.का.	(27730)	35608
46	बीआरजीएफ का मूल्यांकन अध्ययन - मेघालय - क्ष.का.	37487	37487
47	एसआईआरडी राजस्थान द्वारा प्रदर्शनी दौरा	73934	73934
48	मत्स्य एवं सूअर कृषक (मेघालय) - क्ष.का.	2577107	2577107
49	जीआईएस-एमएपी-आई डब्ल्यू एम पी-असम - क्ष.का.	109239	109239
50	आईडब्ल्यूएमपी - मूल्यांकन पीएमकेएसवाई - बी-1-त्रिपुरा - क्ष.का.	280000	280000
51	आई डब्ल्यू एम पी - कोकराझार - क्ष.का.	93787	93787
52	आई डब्ल्यू एम पी-प्रशिक्षण -एसएलएनए-असम - क्ष.का.	1122817	1122817
53	आई डब्ल्यू डब्ल्यू पी - मूल्यांकन परियोजना नागालैण्ड - क्ष.का.	749990	749990
54	सौर उष्मीकरण सिस्टम के लिए एमएनआरई - क्ष.का.	399969	399969
55	एनईसी -क्षमता -निर्माण-एनआरएलएम-तीसरा चरण - क्ष.का.	(1620075)	(1620075)
56	एनईसी - एमएपी - क्ष.का.	(121048)	(121048)
57	एनईसी - झूम कृषि भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी - क्ष.का.	9614433	3635681
58	एनएफडीबी -बील मछली प्रशिक्षण -क्ष.का.	114783	114783
59	एनएफडीबी -कतोर -नलहरी में मत्स्य पालन विकास - क्ष.का.	31171	31171
60	वर्षा जल सिंचाई - क्ष.का.	(1115)	(1115)
61	एसएमई पर एसटीपी और दक्षिण कोरिया एवं जापान के लिए परिचयात्मक दौरा-असम सरकार-क्ष.का.	1271697	1942294
62	मेघालय के लिए जल संसाधन पर एसटीपी - क्ष.का.	169655	169655
63	टीएसआई-बीआरजीएफ, मेघालय - क्ष.का.	639036	639036
64	ग्राम अभिग्रहण - हतियुता - क्ष.का.	15656	15656
65	व्यावसायिक प्रशिक्षण - डब्ल्यूजीएच - मेघालय - क्ष.का.	2392943	2392943
66	वेस्ट गारो हिल्स -मेघालय प्रशिक्षण एवं परिचयात्मक दौरा - क्ष.का.	1495000	1495000
67	प्राप्त्य के रूप में प्रदर्शित शेष (ए8 को अंतरित)		5166539
	कुल	53389078	41723543

31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्र. सं.	समूह विवरण	मार्च 31, 2020 (रु.)	मार्च 31, 2019 (रु.)
अनुसूची	(एल 5) परामर्शी देयताएं		
1	निवेश पर 25% ब्याज - हितकारी निधि	730851	468325
2	निवेश पर 75% ब्याज - विकास निधि	2192552	1404978
3	सी0269 सामान्य एवं परामर्शी खाते के बीच अंतरण	10606674	(490000)
4	सी0272 मानदेय उंचत	1092855	1092855
5	सी0282 आयकर	3900	3900
6	विविध प्राप्ति - एनईआरसी	380088	111624
7	प्राप्त के रूप में प्रदर्शित शेष (ए8 को अंतरित)	0	490000
8	देयताएं के रूप में प्रदर्शित शेष (ए8 से अंतरित)	362614	462414
	कुल	15369533	3544096
अनुसूची	(एल 6) देयताएं एवं प्रावधान		
1	एस0010 एस-प्रतिभूति जमा	10136513	7918223
2	एस0010 एस-प्रतिभूति जमा - एनईआरसी	654354	662754
3	एस0011 एस-बयाना राशि जमा	3246516	4177827
4	एस0011 एस-बयाना राशि जमा-एनईआरसी	449015	404015
5	एस0014 एस-आय कर (ठेकेदार)	(815149)	920600
6	एस0014 टी डी एस वेतन 92बी	(313491)	405863
7	एस0058 एस- बिक्री कर / वैट	154109	154109
8	एस2119 आरसेटी	(267506)	454949
9	एस2233 परियोजना से एनआईआरडी को अनुश्रवण प्रभार	91312009	191859559
10	एस2237- अवर्गीकृत आरटीजीएस प्राप्ति	55621301	29673581
11	एस2252 जीएसटी प्रेषण	296637	330491
12	एस2257 जीएसटी पर टीडीएस	596240	194407
13	सेवा कर	(9538)	(9538)
14	प्रधानमंत्री - मुख्यमंत्री राहत निधि		(106816)
15	टी1011 बकाया देयताएँ	16861516	137887184
16	सहायता अनुदान - एमओआरडी का अव्ययित शेष	4161550	0
17	देयताएं के रूप में प्रदर्शित शेष (एल6 से अंतरित)	1549938	5015822
18	प्राप्ति के रूप में प्रदर्शित शेष (ए4 को अंतरित)	1405684	116354
	कुल	183489759	380059383

31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्र. सं.	समूह विवरण	मार्च 31, 2020 (रु.)	मार्च 31, 2019 (रु.)
अनुसूची	(एल7) पारगमन लेखा		
1	एस0015 एस-एल आई सी	222397	(103277)
2	एस0013 एस-आयकर (वेतन)	1376073	(963671)
3	एस0016 एस-जी आई एस	(286714)	(250275)
4	एस0017 एस-हितकारी निधि वेतन	133150	0
5	एस0018 एस-वृत्ति कर	116240	10000
6	एस0019 एस-एस आर सी	2635	(3034)
7	एस0041 एस-डाक जीवन बीमा योजना	8968	(2651)
8	एस0077 एस-बैंक ऋण	22900	(449700)
9	एस0088 एस-बीबीबीबी स्कूल शुल्क	(9550)	(12750)
10	एस0095 एस-केबल टीवी कनेक्शन	7800	0
11	एस0113 एस-एनईआरसी	200	100
12	एस0202 एस-सामान्य भविष्य निधि - वेतन	674167	1575908
13	एस2223 एजी(ए एवं ई) केरल (डीजी)	120	0
14	एस2232 स्वास्थ्य संचित निधि	15500	0
15	एस2246 सीएओ; कपार्ट, नई दिल्ली	8910	50
16	एस2247 महालेखाकार हैदराबाद	50770	0
17	एस2248 एफ ए एवं सी ए ओ आधुनिक कोच फैक्टरी, रायबरेली	(167)	(167)
18	एस2251 यूएस प्रशासन मिजोरम सरकार	4320	2760
19	एस2253 एजी (जनरल-1) महाराष्ट्र	30120	0
20	एस2255 एजी ओडिशा एओ (सी)	15710	0
21	एस2256 सीबीडीटी मुंबई एओ(ए)	15710	0
22	एस2258 जामिया मिलिया इस्लामिया -रूबिना नुसरत	450	0
23	एस2259 एसवी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय तिरुपति - वाई वी रामा रेड्डी	300	(10232)
24	एस2260 झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय - किरन जालेम	(121248)	0
25	एस2261 पीएओ एमओआरडी - एफए	20120	0
26	एस2262 एसआईआरडी भुवनेश्वर	25000	0
27	एस2264 जीएसटी देय	221330	0
28	पुराने चेक	7341268	6615854
29	प्राप्ति के रूप में प्रदर्शित शेष (ए7 को अंतरित)	417679	1795757
	कुल	10314158	8204672
अनुसूची	(एल8) अंतरण लेखा		
1	देयताएं के रूप में प्रदर्शित शेष (ए11 से अंतरित)	178865720	88944308
	कुल	178865720	88944308
अनुसूची	(एल8) परामर्शी अंतरण लेखा		
1	परामर्शी - सामान्य निधि को अंतरण	416658	416658
2	जेड0029 - परामर्शी अंतरण लेखा	608788	608788
	कुल	1025446	1025446

31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्र. सं.	समूह विवरण	मार्च 31, 2020 (₹.)	मार्च 31, 2019 (₹.)
अनुसूची	(ए4) चालू आस्तियां एवं अग्रिम		
1	प्रधानमंत्री - मुख्यमंत्री राहत निधि	0	0
2	क्षे. का. - सीपीडब्ल्यूडी पूंजीगत कार्य - एनईआरसी	0	0
3	एस2203 परियोजना आकस्मिकताएं	0	1094638
4	क्षे.का. - एनईआरसी - उचंत	7296886	5070452
5	टी1009 अंतः शेष	7914343	9245113
6	टी1010 अर्जित आय	65716367	76468038
7	टी1012 पूर्व प्रदत्त व्यय	186979	175704
8	टी1136 उपलब्ध टी - स्टैम्प	35996	118940
9	प्राप्य के रूप में प्रदर्शित शेष (एल3 से अंतरित)	114668298	11542702
10	प्राप्य के रूप में प्रदर्शित शेष (एल6 से अंतरित)	1549938	5015822
	कुल	197224553	103831941
अनुसूची	(ए4) सामान्य लेखा और परियोजना पारगमन लेखा		
1	एस2101-सीएफआईई	251363	(46819)
2	एस1825 परामर्शी -सह-मार्गदर्शन केन्द्र, वैशाली - कपार्ट	0	(2125250)
3	एस2123 आईसीएआर एनएआईपी कृषि - सी-गार्ड	365603	365603
4	एस2254 संचित निधि व्यय	0	81356
5	एस2326 एसआरएस चेयर - रूरल लेबर	501891	(149494)
6	एस2405-एनआरएलएम संसाधन सेल	6701414	(2622742)
7	एस2528-एसआरटी - टेक का सृजन - मनरेगा	238208	(71517)
8	एस2540- एनजीएनआईजीए-अप्रैल-2015-16 के तहत अध्ययन	69352	0
9	देयताएं के रूप में प्रदर्शित शेष (एल6 को अंतरित)	0	5015822
	कुल	8127831	446959
अनुसूची	(ए4) ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी		
1	कर्मचारियों को अग्रिम	3930300	2212690
2	एन0009 एन-मोटर वाहन अग्रिम (प्राप्ति)	3335	317235
3	एन0009 एन-मोटर वाहन अग्रिम (प्राप्तियां) - एनईआरसी	0	(151520)
4	पी0003 पी-आवास निर्माण अग्रिम (प्राप्तियां)	2491295	2511575
5	पी0003 पी-आवास निर्माण अग्रिम (प्राप्तियां) - एनईआरसी	0	(67980)
6	पी0017 पी-आवास निर्माण अग्रिम	0	0
7	आरसी - विविध अग्रिम - एनईआरसी	1395297	400248
8	एस0001 एस-साईकल अग्रिम	0	0
9	एस0001 एस-साईकल अग्रिम - एनईआरसी	0	(2125)
10	एस0003 एस-त्यौहार अग्रिम	0	291276
11	एस0003 एस-त्यौहार अग्रिम - एनईआरसी	0	(57150)
12	एस0102 एस-अग्रदाय	110570	110275
13	एस0104 एस -वैयक्तिक कम्प्यूटर अग्रिम	294300	(409517)
14	एस0104 एस -वैयक्तिक कम्प्यूटर अग्रिम - एनईआरसी	49475	(53688)
	कुल	8274572	5101319

31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्र. सं.	समूह विवरण	मार्च 31, 2020 (रु.)	मार्च 31, 2019 (रु.)
अनुसूची	(ए5) जमा		
1	अतिथि गृह मरम्मत के लिए सीपीडब्ल्यूडी के पास जमा	0	9188048
2	एनईआरसी अतिथि गृह मरम्मत के लिए सीपीडब्ल्यूडी जीएचवाई के पास जमा	5561198	10652000
3	एलडीओ उत्तर दिल्ली के पास जमा	1894586	1894586
4	पी0016-टेलिफोन एवं अन्य जमा	488675	488675
5	टी1117- एपीएसईबी के पास जमा (आरआरएस 345)	1940270	1940270
6	टी1118- ब्याज सहित अनुभाग जमा एपीएसईबी (आरआरएस 538)	509200	509200
7	टी1119- महाप्रबंधक टेलीफोन के पास जमा	374496	374496
8	टी1120- एपीडीडीसी के पास जमा	6240	6240
9	टी1124- सपना उद्यम के पास जमा	7200	7200
10	टी1125- सीएच.एसपी, सीटीओ टेलीफोन कार्यालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद के पास जमा	10000	10000
11	टी1138 अन्य एजेन्सियों के पास जमा	970500	970500
12	टी1140-एपीसीपीडीसीएल के पास जमा (अरावली अतिथि गृह)	464203	464203
13	टी1142-एलडीओ - आरटीपी भूमि के पास जमा	0	0
	कुल	12226568	26505418
अनुसूची	(ए6) सावधि जमाओं में निवेश		
	सामान्य		
1	एस0005 सावधि एवं लघु अवधि जमा लेखा खाता	1524552272	1463758442
2	एस2235 बीजी के विपरीत एस बी एच के पास सावधि जमा	616000	616000
	कुल	1525168272	1464374442
	चिह्नित निधियां		
1	भवन निधि - निवेश	528043710	156736691
2	भवन निधि - अर्जित आय	0	6590090
3	संचित निधि - निवेश	2627183271	2085605755
4	संचित निधि - अर्जित आय	0	50217162
5	विकास निधि - निवेश	94581479	82227979
6	विकास निधि - अर्जित आय	0	8412516
7	डीडीयू जीकेवाई - निवेश	56147696	50000000
8	एसआरएससी- निवेश	93609185	87300000
9	सीएफआईईई - निवेश	99872304	94350623
	कुल	349943765	2621440816
अनुसूची	(ए7) पारगमन लेखा		
1	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (एल 7 से अंतरित)	417679	1795757
	कुल	417679	1795757

31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्र. सं.	समूह विवरण	मार्च 31, 2020 (रु.)	मार्च 31, 2019 (रु.)
अनुसूची	(ए8) परामर्शी आस्तियां		
1	अग्रिम -टीए /डीए - क्षे.का.	400221	290221
2	सी0270-हितकारी निधि उचंत	22727	29393
3	सी0271-विकास निधि उचंत	34693	34693
4	सी-डैप-एपी -क्षे.का.	902	902
5	ईएमडी -क्षे.का.	96300	96300
6	विविध अग्रिम - क्षे.का.	1692137	(99800)
7	प्रतिभूति जमा - क्षे.का.	(362614)	(362614)
8	जेड0026-आय कर (ठेकेदार)	2101	2101
9	जेड0031- परामर्शी उपार्जित ब्याज	470419	836588
10	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (एल 4 से अंतरित)	5166539	5546857
11	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (एल 5 से अंतरित)	0	490000
12	देयताएं के रूप में प्रदर्शित शेष (एल 5 को अंतरित)	362614	462414
	कुल	7886039	7327055
अनुसूची	(ए9) सामान्य लेखों का अंतःशेष		
	निधि लेखा शेष		
1	भवन निर्माण निधि -एसबीआई -एनआईआरडी शाखा	107934	103854
2	भवन निर्माण निधि - आन्ध्र बैंक 125510100109584	425190	19437
3	भवन निर्माण निधि सीएलटीडी	690227	170000
4	संचित -एसबीआई -एनआईआरडी - 62112588084	5042718	41447637
5	विकास -एसबीआई -एनआईआरडी(खाता सं. 52040475255)	192201	3222907
6	विकास निधि - आंध्र बैंक 122510100109593	58237	7323
	सामान्य लेखा शेष		
7	सीएफआई -एसबीआई -एनआईआरडी (62094863681)	8249194	3884496
8	परामर्शी आन्ध्र बैंक खाता 125510100109609	37000	6646
9	डीडीयू जीकेवाई -एसबीआई -एनआईआरडी शाखा (62431332037)	86196983	14479470
10	मनरेगा -एसबीआई -एनआईआरडी शाखा (खाता 62476174622)	1801044	818935510
11	एमकेएसवाई -एसबीआई -एनआईआरडी(62185305487)	8752743	8752743
12	एनआरएलएम -एसबीआई -एनआईआरडी शाखा (62431461891)	131	39142
13	पीएनबी-एनआईआरसी(सीए -1907012100000012)	10635805	12009471
14	पीएनबी-एनआईआरसी (एसबी - 1907012100000373)	18951215	27477
15	पीएनबी-एनआईआरसी - नकद	6029	63333448
16	आरसेटी -आंध्र बैंक (125510100098057)- राजेन्द्रनगर	138950953	37917715
17	एसबीआई- आरसेटी पीएफएमएस 9181 सीएलओडी - 62094415164	745288723	624913301
18	एसबीआई एसबी खाता (62491365119)	139050953	33872
19	एसबीआई एसबी खाता (52040475313)	745288723	624913301

31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्र. सं.	समूह विवरण	मार्च 31, 2020 (₹.)	मार्च 31, 2019 (₹.)
20	सामान्य खाता आंध्रा बैंक 125510100109566	858846	33872
21	एसबीआई चालू खाता(52040475062)	10484984	49752
22	एसबीआई-डीईसी पीजीडी एसआरडी (62114579633)	1000	2075
23	एसबीआई -एनआईआरडी डीईसी-पीजी सी-गार्ड (62350105231)	1001	6897
24	एसबीआई -एनआईआरडी पीजीडीआरडीएम (62052905893)	645556	105649
25	एसआरसीबी -एसबीआई -एनआईआरडी राजेन्द्रनगर (62221101177)	5240302	5154887
26	यूएनडब्ल्यू - एसबीआई यूएन महिला बैंक (62487461885)	29237	25055
27	एनआईआरडीपीआर कार्य अनुसंधान - एसबीआई - पीएफएमएस 796 - 38831856272	10057	0
28	एनआईआरडीपीआर जीआईए - एसबीआई - पीएफएमएस 3825 - 38831858496	10057	0
29	एनआईआरडीपीआर पीएमजीएसवाई - एसबीआई - पीएफएमएस 9179 - 38831859885	10057	0
30	एनआईआरडीपीआर आरजीएसए - एसबीआई - पीएफएमएस 3617 - 38831861328	10057	0
	कुल	1157436891	1634648763
अनुसूची	(ए 10) अंतःशेष परामर्शी लेखा		
1	परामर्शी - एनआरएलएम आरसी-एनईआरसी	16617217	2937116
2	पीएनबी-गुवाहाटी-एनईआरसी	34797940	27248901
3	एसबीआई-एनआईआरडी(52040475346)- परामर्शी	741896	5700
4	नकद -एनईआरसी	11450	820
	कुल	52168502	30192537
अनुसूची	(ए11) अंतरण लेखा		
1	एस0008 एस- मुख्यालय और गुवाहाटी के बीच अंतरण	0	0
2	एस0009 एस- सामान्य खाता एवं परामर्शी खाते के बीच अंतरण	1000000	1000000
3	एस0030 सामान्य खाता एवं भविष्य निधि के बीच अंतरण	0	1677801
4	एस0039 एस-सामान्य खाता एवं हितकारी निधि के बीच अंतरण	0	46236
5	एस0066 एस- बचत बैंक खाते से सामान्य खाते के बीच अंतरण	11629022	0
6	एस2216 सीएलटीडी से सामान्य खाते के बीच अंतरण	(165476332)	(87143942)
7	एस2508- सामान्य खाता एवं आजीविका कौशल के बीच अंतरण	493	493
8	टी1116- भवन खाते के लिए अंतरण	32693583	21890791
9	313 से भुगतान बचत 5119 के बीच अंतरण	(11589022)	0
10	एलसीबी एनआईपी (708) को एसबी खाता 313 में अंतरण	(1800366)	(1800366)
11	डीडीयू जीकेवाई 531 खोते से एसबी 313 खाते के बीच अंतरण	9376897	9376897
12	देयता के रूप में प्रदर्शित शेष (एल 8 को अंतरित)	178865720	88944308
	कुल	54699995	33992218

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए हितकारी निधि का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

31 मार्च 2019 को रु.	प्राप्तियाँ	31 मार्च 2020 को रु.
2804485	प्रारंभिक शेष - बैंक	2526048
354351	परामर्शी निवेश पर अर्जित 25% ब्याज का अंतरण - मुख्यालय	0
0	परामर्शी एसबी खाते पर अर्जित 25% ब्याज का अंतरण - क्षेत्र.का	0
33189056	सावधि जमाओं में निवेश (परिपक्व)	47531341
3557293	निवेशों पर ब्याज	3407970
95013	कर्मचारियों से अंशदान - एनआईआरडी	31741
20966	कर्मचारियों से अंशदान - एनईआरसी	17850
822116	विवाह ऋणों की वसूली	849244
192459	शिक्षा ऋणों की वसूली	181163
49665	ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	86295
92380	एसबी खाते पर ब्याज	60478
41177783	कुल	54692130
	भुगतान	
1600000	विवाह ऋण	800000
36705343	सावधि जमाओं में निवेश	50939311
321333	उच्चतर शिक्षा ऋण	75000
25000	मृतक कर्मचारियों के निराश्रित परिवार को सहायता	25000
0	विविध व्यय	0
59	बैंक प्रभार	0
2526048	अंतःशेष - बैंक	2852820
41177783	कुल	54692131

(शशि भूषण)

वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
वर्ष 2019-20 के लिए हितकारी निधि का आय एवं व्यय लेखा

31 मार्च 2019 को रु.	आय	31 मार्च 2020 को रु.
354,351	परामर्शी निवेश पर अर्जित 25% ब्याज का अंतरण - मुख्यालय	130,225
-	परामर्शी एसबी खाते पर अर्जित 25% ब्याज का अंतरण - क्षेत्रीय और मुख्यालय	118,720
364,286	परामर्शी निवेश पर अर्जित 25% प्राप्त ब्याज का अंतरण - मुख्यालय	13,581
95,013	कर्मचारियों से अंशदान - मुख्यालय	31,741
20,966	कर्मचारियों से अंशदान - एनईआरसी	17,850
49,665	ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	86,295
-	कराटे कोचिंग के लिए वसूले गए शुल्क	-
2,233,993	निवेशों पर ब्याज	2,314,606
1,093,364	प्राप्त ब्याज	908,910
92,380	एसबी खाते पर ब्याज	60,478
-	अन्य प्राप्तियां	-
4,304,018	कुल	3,682,405
	व्यय	
25,000	मृतक कर्मचारियों के निराश्रित परिवार को सहायता	25,000
-	विविध व्यय	180,235
59	बैंक प्रभार	-
4,278,959	व्यय पर आय की अधिकता को तुलन पत्र में ले जाया गया	3,477,170
4,304,018	कुल	3,682,405


(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2020 को हितकारी निधि का तुलन पत्र

31 मार्च 2019 को रु.	देयताएं	31 मार्च 2020 को रु.
49879283	पूँजीगत निधि - प्रारंभिक शेष 54158242	
4278959	जोड़े : तुलन पत्र में ले जाया गया व्यय पर आय की अधिकता 3477170	
54158242		57635412
54158242	कुल	57635412
	आस्तियां	
47531341	सावधि जमा में निवेश	50939311
1093364	प्राप्त ब्याज	908910
648559	परामर्शी निवेशों पर 25% प्राप्त ब्याज का अंतरण - मुख्यालय	730851
2358930	कर्मचारियों को अग्रिम	2203521
2526048	अंतःशेष - बैंक	2852820
54158242	कुल	57635412

(शशि भूषण)

वित्तीय सलाहकार

(अलका उपाध्याय)

महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भविष्य निधि का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

31 मार्च 2019 को रु.	प्राप्तियाँ	31 मार्च 2020 को रु.
12218348	प्रारंभिक शेष - बैंक	3608238
6434061	अंशदान / अग्रिम वसूली (एनईआरसी)	7137319
39639975	अंशदान / अग्रिम वसूली (मुख्यालय)	49956507
8117056	प्रबंधन का योगदान	7051815
20207423	निवेशों पर ब्याज	13823176
492775	एसबी खाते पर ब्याज	594873
158046597	सावधि जमाओं का नकदीकरण	294068721
0	सामान्य खाता से भविष्य निधि खाते का अंतरण	2500000
245156235	कुल	378740649
भुगतान		
46017716	जीपीएफ	34914019
5970355	सीपीएफ	60000
14157900	नई पेंशन योजना	15656780
66145971		50630799
163168721	निवेश	300900000
0	बैंक प्रभार	13529
12233305	भविष्य निधि खाते से सामान्य खाते को अंतरण	6677801
3608238	अंतःशेष - बैंक	20518520
245156235	कुल	378740649



 (शशि भूषण)
 वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

वर्ष 2019-20 के लिए भविष्य निधि का आय एवं व्यय लेखा

31 मार्च 2019 को रु.	आय	31 मार्च 2020 को रु.
3247811	निवेशों पर ब्याज	8244404
8210106	प्राप्त ब्याज	766200
492775	एसबी खाते पर ब्याज	594873
11950692	कुल	9605477
	व्यय	
7071495	जीपीएफ में जमा किया गया ब्याज (मुख्यालय एवं क्षेत्र.का)	7492313
92653	सीपीएफ में जमा किया गया ब्याज (स्वयं का अंशदान)	982934
531555	सीपीएफ में जमा किया गया ब्याज (संस्थान का अंशदान)	0
0	एनपीएस टी-1 में जमा किया गया ब्याज (स्वयं का अंशदान)	0
0	एनपीएस टी-1 में जमा किया गया ब्याज (संस्थान का अंशदान)	0
0	बैंक प्रभार	13529
3394989	व्यय पर आय की अधिकता	1116701
11090692	कुल	9605477

(शशि भूषण)

वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च 2020 को भविष्य निधि का तुलन पत्र

31 मार्च 2019 को रु.	देयताएं	31 मार्च 2020 को रु.
	भविष्य निधि की शेष राशि	
96339187	जीपीएफ	115850902
14961807	सीपीएफ	6784770
13598284	प्रबंध अंशदान	35935651
2088978	नई पेंशन योजना - टायर-I (एनईआरसी)	2977367
11807071	प्रबंधन अंशदान एनपीएस- टायर- I	0
30263314	अधिशेष - ओ बी 33658303	
3394989	आय की अधिकता जोड़ें 1116701	34775004
501515	विविध लेनदार	501515
2031920	सामान्य निधि से अंतरण	0
174987065	कुल	196825209
	आस्तियां	
163168721	निवेश	172631334
8210106	प्राप्त आय	766200
0	सामान्य लेखा से भविष्य निधि लेखा में अंतरण	2909154
3608238	बैंक में नकद	20518520
174987065	कुल	196825208

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

(अलका उपाध्याय)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए चिकित्सा संचित निधि का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

31 मार्च 2019 को रु.	प्राप्तियाँ	31 मार्च 2020 को रु.
2635302	प्रारंभिक बैंक शेष	5155529
0	सावधि जमा में निवेश (परिपक्व)	2204270
770029	निवेशों पर ब्याज	154203
3515637	पेंशन भोगियों से अंशदान	3287600
84575	कर्मचारियों से अंशदान	58600
154213	एसबी खाते पर ब्याज	177279
7159756	कुल	11037481
	भुगतान	
1234198	चिकित्सा व्यय - सदस्य	1179726
770029	निवेश	2358473
0	बैंक प्रभार	0
5155529	बैंक अंतःशेष	7499282
7159756	कुल	11037481

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

वर्ष 2019-20 के लिए चिकित्सा संचित निधि का आय एवं व्यय लेखा

31 मार्च 2019 को रु.	आय	31 मार्च 2020 को रु.
133196	निवेश पर ब्याज	237737
3515637	पेंशन भोगियों से अंशदान	3287600
84575	कर्मचारियों से अंशदान	58600
404567	निवेशों पर प्राप्त ब्याज	332440
154213	एसबी खाते पर ब्याज	177279
4292188	कुल	4093656
	व्यय	
1234198	चिकित्सा व्यय - सदस्य	1179726
0	बैंक प्रभार	0
3057990	व्यय पर आय की अधिकता	2913930
4292188	कुल	4093656



 (शशि भूषण)
 वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2020 को चिकित्सा संचित निधि का तुलन पत्र

31 मार्च 2019 को रु.	देयताएं	31 मार्च 2020 को रु.
10402369	एनआईआरडी चिकित्सा संग्रहण निधि 13460359	
3057990	जोडे : व्यय पर आय की अधिकता 2913930	
13460359		16374289
13460359	कुल	16374289
	आस्तियां	
7900263	निवेश	8542567
404567	निवेशों पर प्राप्त ब्याज	332440
5155529	बैंक अंतःशेष	7499282
13460359	कुल	16374289


(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार


(अलका उपाध्याय)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए लेखों के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची - 24 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ :

- क) लेखाकरण करार
वित्तीय जानकारीयों को अन्यथा वर्णन न किया गया हो उसे ऐतिहासिक लागत करार एवं लेखाकरण की संग्रहण पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है ।
- ख) संस्थान के लेखें
संस्थान निम्नलिखित निधि लेखों का रखरखाव करता है :
- i) एनआईआरडी एवं पीआर लेखा
 - ii) हितकारी निधि लेखा
 - iii) भविष्य निधि लेखा
 - iv) एनआईआरडीपीआर चिकित्सा संचित निधि लेखा

संस्थान के वित्तीय उप-नियमों में निर्दिष्ट किए अनुसार संस्थान के लेखों को महानिदेशक द्वारा संकलित एवं तैयार किया जाना होता है जिसमें निम्नलिखित तीन जानकारीयों को दर्शाया जाना होता है और इस तरह संकलित वार्षिक लेखा को संस्थान के लेखापरीक्षकों के सम्मुख 30 जून से पहले लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत की जाती है ।

- i) प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
- ii) आय एवं व्यय लेखा
- iii) तुलन पत्र

लेखों को लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भेजा जाता है ।

2. **सरकारी अनुदान :** संस्थान को निधिपोषण केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान से होता है । लेखानुदान (सामान्य एवं वेतन) की गणना संग्रहण आधार पर की जाती है । वर्ष की समाप्ति पर पूंजीगत अनुदान की राशि को उपयोग में लाया जाता है और उसे पूंजीगत निधि को अंतरिक किया जाता है । उपयोग में न लागे हुए शेष ऐसे अनुदान बकाया को तुलन पत्र-के अंतर्गत देयताओं में अनुदानों के अंतः शेष में दर्शाया जाता है । सामान्य एवं वेतन के अंतर्गत विशिष्ट रूप से प्राप्त निधियों की गणना पृथक रूप से की जा रही है ।

3. **आस्तियों का मूल्यांकन :** सावधि जमा आस्तियों का मूल्यांकन वर्ष के अंत में तुलनपत्र में दर्शाए गए निवल ह्रास और लागत पर किया जाता है ।

4. **मूल्यहास :** भारत सरकार, (वित्त मंत्रालय) द्वारा निर्धारित केन्द्रीय स्वायत्त संगठनों के लिए लेखों के सामान्य फार्मेट के अनुसार आस्तियों के मूल्यों पर मूल्यहास उपलब्ध कराता है । तदुसार, संस्थान की कार्यकारी परिषद के निर्णय के अनुसार आयकर अधिनियम में निर्धारित दरों पर रिटर्न डाउन वैल्यू पद्धति पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रारंभ में संपत्तियों के मूल्य पर मूल्यहास की 100% लागू दर प्रदान की जाती है ।

वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों के लिए लागू दर के अनुसार प्राप्त की गई संपत्ति के लिए पूर्ण मूल्यहास प्रदान किया जाता है और 6 महीने से अधिक और छह महीने से कम अवधि के लिए मूल्यहास की लागू दर का 50% से अधिक उपयोग किया जाता है । परिसंपत्तियों को मूल्यहास अवधि के अंत में 1 रूपए के सामान्य मूल्य पर दर्शाया गया है । ₹. 5000 या इससे कम लागत वाली परिसंपत्तियाँ पूरी तरह से प्रदान की जाती है (पुस्तकालय की पुस्तकों को छोड़कर)

5. दवाईयाँ, लेखन सामग्री, इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रिकल्स के अंतः स्टॉक को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है ।

6. संस्थान द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं और प्रकाशनों के अंतः स्टॉक को लागत या बिक्री मूल्य जो भी कम हो पर मूल्यांकित किया जाता है ।

7. नकद आधार पर परियोजना लेखों की गणना की जाती है ।
8. **सेवानिवृत्ति लाभ** : कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति लाभ जैसे - पेन्शन, ग्रेच्युटी एवं छुट्टी नकदीकरण का भुगतान वास्तविक आधार पर किया गया है । (कृपया नोट सं. 14 (सी) देखें)
9. **वित्तीय प्रबंधन** : संस्थान के वित्त प्रबंध एवं नियंत्रण को सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए लागू किया जा रहा है ।
10. **संस्थान के वित्तीय उप-नियम** में बजट, निवेश नीतियां लेखा और लेखा परीक्षा इत्यादि सहित विभिन्न वित्तीय एवं लेखाकरण पहलुओं के लिए कार्य पद्धति को निर्धारित किया गया है जिसका संस्थान अनुपालन कर रहा है ।
11. **आयकर** : संस्थान को आयकर अधिनियम की धारा 12 ए ए के अंतर्गत 01.04.2007 से छूट दी गई है कृपया आयकर निदेशक, हैदराबाद के आदेश (छूट), सं. डीआईटी(ई)/12ए/हैदरा/21(04)/07-08 दिनांक 20.09.2007 का अवलोकन करें । उसी प्रकार एनआईआरडी को 01.04.2009 से 31.03.2011 तक किए गए अंशदान के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5) (vi) के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की गई । कृपया आयकर (छूट) के निदेशक हैदराबाद, के आदेश सं. डीआईटी(ई)/हैदरा/80जी/17(06)/09-10 दिनांक 17.07.2009 का अवलोकन करें । धारा 80 जी (5) (vi) के अंतर्गत छूट को अगले आदेशों की प्राप्ति तक बढ़ाया गया है । कृपया आदेश सं. डीआईटी(ई)/हैदरा/80जी/20(05) 11 - 12 दिनांक 26.08.2011 के अंतर्गत छूट दी गई ।
12. विकास निधि, भवन निधि एवं संचित निधि के लेखा को " चिन्हित निधियों" के अंतर्गत गणना की गई है तथा इन निधियों के प्रत्येक बकाया को तुलन पत्र में देयताओं के अंतर्गत अनुसूची 3 "चिन्हित निधियों" के अंतर्गत दर्शाया गया है ।
इसके फलस्वरूप संबंधित तीन निधियों की प्राप्ति एवं भुगतान को संबंधित निधियों के द्वारा ही दिया जा रहा है तथा इसे एनआईआरडीपीआर के आय एवं व्यय लेखा के द्वारा नहीं दिया जाएगा ।
उपरोक्त तीन निधियों में से जहाँ कहीं भी सावधि संपत्तियों को अर्जित किया गया है उन्हें एनआईआरडीपीआर के तुलन पत्र अनुसूची 5 "सावधि परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है । अतः इस पर मूल्यहास को एनआईआरडीपीआर के आय एवं व्यय लेखा में दर्शाया गया है ।
13. सहायता अनुदान को केन्द्र सरकार द्वारा "वेतन एवं सामान्य" के अंतर्गत जारी किया गया है । इसलिए आय एवं व्यय लेखा तदनुसार तैयार किया गया है ।
14. **लेखा टिप्पणियां**
 - क. सामान्य लेखा में आंकड़ें - आय एवं व्यय लेखा एवं तुलन पत्र में एनआईआरडीपीआर को समग्र रूप से दर्शाया गया है (एन ई आर सी, गुवाहाटी सहित) । संस्थान प्रायोजक एजेंसी के साथ महानिदेशक द्वारा सहमत शर्तों और नियमों पर परामर्शी, परामर्शी कार्यक्रम, अनुसंधान अध्ययन, परियोजनाओं इत्यादि को प्रारंभ करता है । संस्थान प्रायोजक एजेंसी से शुल्क की वसूली करता है - इस तरह के कार्यक्रमों/परियोजनाओं की लागत के प्रति शुल्क एवं ऐसे परामर्शी कार्यों पर व्यय इसमें से ही किए जाएंगे ।
 - ख. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विभिन्न लेखों की निवेशों की जानकारी के सत्यापन हेतु संबंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा ।
 - ग. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रमाणित बीमांकक के द्वारा सेवा निवृत्ति लाभ जैसे - ग्रेच्युटी, पेन्शन और लीव इनकैशमेंट का मूल्यांकन किया गया । 31 मार्च, 2019 को आकलित देयता राशि रु. 432.21 करोड़ (ग्रेच्युटी - रु.30.41 करोड़, वर्तमान पेन्शन - रु. 97.30 करोड़, वर्तमान कर्मचारियों को पेन्शन रु. 291.00 करोड़ एवं लीव इनकैशमेंट रु. 13.50 करोड़) रूपए था । जी एफ आर एस 2017 के नियम 230 (12) (ii) के अनुसार "अनुदान संस्थाओं / संगठनों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे अपने स्वयं या सरकारी लेखा पर देयता लेने के बजाय पेन्शन या ग्रेच्युटी स्कीमों या समूह बीमा योजना या गृह निर्माण ऋण या वाहन ऋण स्कीम जो कर्मचारियों के लिए मार्केट में उपलब्ध है से संबंधित संदर्भ को ध्यानाकर्षित किया गया है । चूंकि संस्थान अपने सभी क्रियाकलापों के लिए

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निधि पोषित है। मंत्रालय से यह अनुरोध किया गया है कि वे सेवानिवृत्ति लाभों के देयताओं के निधिपोषण हेतु पृथक रूप से अनुदानों को जारी रखे। उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है इसलिए निधियों को जारी करने एवं सेवानिवृत्ति देयताओं पर एमओआरडी के पास लंबित निर्णय को लेखा पुस्तिका में नहीं दर्शाया गया है।

- घ) आकस्मिक देयतायें : मेंडागॉस्कर में सी-गार्ड प्रौद्योगिकी केन्द्र को स्थापित करने हेतु विदेश मंत्रालय की परियोजना के संबंध में संस्थान ने रु. 616000.00 की बैंक गारंटी दी है। इसे सामान्य लेखा तुलन पत्र : अनुसूची ए -6 सामान्य खाते में निवेश के अंतर्गत पृथक रूप से दर्शाया गया है।
- ड.) जहां कही भी व्यवहार्य हो, खाता कोड संख्या को खाता-नाम में प्रि-फिक्स किया गया है ताकि टैली खातों में मदों की शिनाख्त आसानी से हो सके।
- च) जहां कही भी व्यवहार्य हो, अनुसूचियों / खातों को रीग्रुप / पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि टैली विवरणों में मदों की शिनाख्त आसानी से की जा सके। जहां कही आवश्यक हो पूर्व वर्षों के आंकड़ों को तदुसार पुनः समूहबद्ध किया गया है। आंकड़ों को निकटतम रूप से में मिला दिया गया है।
- छ) आय एवं व्यय लेखा-अनुसूची 9 से 13: प्राप्तिओं में पूर्ववधि से संबंधित प्राप्तियां सम्मिलित है।
- ज) भूमि का विवरण :
- i) सर्वे संख्या 91 में कवर किए गए ए सी 125.00 गुंटा का विस्तार प्रेमावतीपेट गांव, राजेन्द्रनगर मंडल, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है।
 - ii) सर्वे संख्या 91 में कवर किए गए ए सी 27.26 गुंटा का विस्तार प्रेमावती पेट गांव, राजेन्द्रनगर मंडल, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है।
 - iii) सर्वे संख्या 316 में कवर किए गए ए सी 8.08 गुंटा का विस्तार बुधवेल गांव, राजेन्द्रनगर मंडल, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है।
 - iv) सर्वे संख्या 273 में कवर किए गए ए सी 3.03 गुंटा का विस्तार बुधवेल गांव, राजेन्द्रनगर मंडल, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है वर्तमान में यह भूमि अर्जन अधिकारी के पास अभिग्रहण में है।
 - v) 5 बिघा का विस्तार जो जवाहरनगर के प्लॉट संख्या 19 है उसे डाग संख्या 341 एवं 346 खानापारा गांव, गुवाहाटी असम द्वारा कवर किया गया है।
 - vi) बिघा 1 काता का विस्तार जिसे डाग संख्या 346 (1223) खानापारा गांव, गुवाहाटी असम द्वारा किया गया है।
 - vii) शहरी विकास मंत्रालय, कोटला रोड, राऊज एवेन्यु, नई दिल्ली द्वारा एनआईआरडीपीआर को प्लॉट नंबर 14, मापन भूलन को 850 वर्ग मीटर को जुलाई, 2002 में आबंटित किया गया। यहां नोट करने वाली बात ये है कि आबंटन की तारीख से ही इस भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है।
- झ) थर्ड पार्टियों से प्राप्त योग्य और कार्यक्रम / परियोजनाओं के शेष से संबंधित परिसंपत्ति पुष्टि की शर्त पर होगी।
- ट) वर्ष 2019-20 में चिन्हित निधियों के बकाया पर ब्याज की बचत दर को परियोजना बहिखाता में जमा किया गया है। इस वर्ष के दौरान सामान्य लेखा में अर्जित कुल ब्याज में से (एस बी लेखा पर ब्याज रु. 1,73,09,120 और अल्पावधि और दीर्घावधि निक्षेपों पर ब्याज रु. 1,18,44,406) रु. 2,91,53,526 की राशि को नामे करते हुए किया गया है।



(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार



महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय
सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE
DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL)
SAIFABAD, HYDERABAD - 500 004.

No.DGA(C)/CEA/Unit-1/ NIRD&PR/SAR.2019-20/ 2020-21/ 23 Date: 11.12.2020

सेवा में

सचिव,

भारत सरकार,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, डॉ. राजेन्द्रप्रसाद रोड,

नई दिल्ली - 110 001

महोदय,

विषय: राष्ट्रीय संस्थान के ग्रामीण विकास और पंचायतीराज, राजेंद्रनगर, हैदराबाद के वर्ष 2019-20 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

Separate Audit Report (SAR) on the Accounts of National Institute of Rural Development & Panchayati Raj (NIRD&PR), Hyderabad, for the year 2019-20, Annexure to SAR and one copy of the Annual Accounts of the Institute for the year 2019-20, are forwarded herewith for placing before the Parliament.

The dates of presentation of Separate Audit Report in both the Houses of Parliament may please be intimated.

Receipt of this letter along with the enclosures may kindly be acknowledged.

भवदीय,

महा निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय)

Director General of Audit (Central)

Endt. No.DGA(C)/CEA/Unit-1/ NIRD&PR/SAR.2019-20/ 2020-21/ Date: 11.12.2020

Copy to Ms. Alka Upadhyaya, Director General, National Institute of Rural Development & Panchayat Raj, Rajendranagar, Hyderabad-500 030, along with one copy of Annual Accounts for the year 2019-20 (English version), with a request to furnish Hindi version of the approved Annual Accounts 2019-20 (2 sets), to this Office.

संल: यथोपरि

निदेशक/ केंद्रीय व्यय लेखापरीक्षा
DIRECTOR/ CEA

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एवं पीआर), हैदराबाद के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2020 तक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद की संलग्न तुलन पत्र, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के तहत उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता और प्राप्ति एवं भुगतान लेखों का लेखापरीक्षा किया है। लेखापरीक्षा को 2021-22 तक की अवधि के लिए सौंपा गया है। इन वित्तीय विवरणों में गुवाहाटी क्षेत्रीय केंद्र के खाते शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों, लेखाकरण मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों की अनुरूपता आदि के संबंध में लेखांकन उपचार पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (स्वामित्व और नियमितता) और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा-अभ्युक्तियाँ यदि कोई निरीक्षण रिपोर्ट / सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट की जाती है।

3. हमने भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया है। इन मानकों के लिए यह आवश्यक है कि हम वित्तीय विवरणों को सामग्री के गलत विवरणों से मुक्त करने के लिए उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, वित्तीय वक्तव्यों में राशि और खुलासे का समर्थन करने वाले सबूत शामिल हैं। लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

4. हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- i. हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य से हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सर्वोत्तम थे;
- ii. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।
- iii. हमारी राय में, संस्थान द्वारा संस्थान के वित्त उप-नियम 31 के तहत आवश्यक रूप से खातों और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्डों का उचित रखरखाव किया है, अब तक यह ऐसी पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है।
- iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. समेकित तुलन पत्र

क.1 पूंजी और देयताएं

क.1.1 वर्तमान देयताएं और प्रावधान: ₹. 43.98 करोड़

क.1.1.1 इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय से संस्थान द्वारा प्राप्त निगरानी शुल्क के प्रति 9.13 करोड़ रुपये की अंतःशेष राशि शामिल है जो चिह्नित विशिष्ट परियोजनाओं (एसजीएसवाई/ डीडीयू-जीकेवाई) के लिए निर्धारित है और स्वीकृत विशिष्ट परियोजनाओं की निगरानी से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों / उद्देश्यों पर खर्च किए जाने हैं, जिन्हें चिह्नित निधि के बजाय वर्तमान देयताओं के तहत गलत रूप से वर्गीकृत किया गया, हालांकि लेखों के समान प्रारूप के अनुसार अनिवार्य (पेज 26) है। इसके परिणामस्वरूप 9.13 करोड़ रूपए की वर्तमान देयताओं को घटाकर और चिह्नित निधि को बढ़ाकर दर्शाया गया है।

ख. सामान्य

1. लेखांकन मानक -15 के अनुसार अनिवार्य होने के बावजूद सेवानिवृत्ति लाभ के प्रति प्रावधान को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार नहीं किया गया।

2. परियोजनाओं के लिए चिह्नित निधि- विशिष्ट अनुदान (अनुसूची-एल3, वार्षिक लेखों के पृष्ठ 11 से 13) में कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के संबंध में रु. 11.46 करोड़ की शून्य अंतःशेष शेष राशि शामिल है। इन्हें प्राप्त माना गया और अतिरिक्त व्यय की प्राप्ति/प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित पक्षों/प्रायोजक एजेंसियां से पुष्टि प्राप्त किए बिना, चालू आस्तियों, जमाओं, अग्रिमों और अंतः स्टॉक (वार्षिक लेखों की अनुसूची-A4, पृष्ठ 15, क्र.सं.9) के तहत परिसंपत्तियों के पक्ष पर अधिक शेष के रूप में हस्तांतरित किया गया। । अनुसूची एल3 से अनुसूची -4 के तहत शून्य अंतःशेष का यह अंतरण हर साल शून्य प्रभाव को कम करने के लिए लेखांकन हस्तांतरण के रूप में किया जा रहा था। खातों के एकसमान प्रारूप देयताओं से लेकर परिसंपत्तियों तक और परिसंपत्तियों से लेकर देयताओं तक के तहत ऋण शेषों के अंतरण को निर्धारित नहीं करता है। इन शून्य अंतःशेष का पुनरीक्षण नहीं किया गया और तदनुसार इसकी गणना की गई।

3. परामर्शी परियोजना (एल4), देयताएं और प्रावधान (एल6) और उच्चतम लेखा (एल 7) (वार्षिक लेखा पृष्ठ 14 और 15) में रु.69,89,903 का शून्य शेष राशि है, जिन्हें गलती से प्राप्त के रूप में माना गया और चालू संपत्तियों के पक्ष के लिए अतिरिक्त शेष के रूप में स्थानांतरित किया गया। इसे प्राप्त के रूप में गलत माना गया और अतिरिक्त व्यय की प्राप्ति / प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित पक्षों/ प्रायोजक एजेंसियां से पुष्टि प्राप्त किए बिना किया गया। इन शून्य अंतःशेषों की समीक्षा नहीं की गई और तदनुसार इसकी गणना की गई।

4. 31.3.2020 को कर्मचारी और पेंशनभोगियों से प्राप्त चिकित्सा संचित निधि अंशदान को रु.33,46,46 (वार्षिक लेखा पृष्ठ संख्या 25) के रूप में दिखाया गया, जबकि प्राप्त वास्तविक अंशदान रु. 44,74,400 रहा है। रु.11,28,200 के अंतर के समाधान की जरूरत है।

5. भविष्य निधि की प्राप्ति और भुगतान खाते के अनुसार कर्मचारियों द्वारा अंशदान रु.6,41,45,641 था। हालाँकि, वास्तविक अंशदान रु.5,27,27,310 था। रु.1,14,18,331 के अंतर के समाधान की आवश्यकता है।

ग. अनुदान-सहायता: वर्ष के दौरान प्राप्त की गई कुल रु. 80.42¹ करोड़ की कुल अनुदान सहायता में से रु.26.83 करोड़ की आंतरिक प्राप्तियों के साथ और पिछले वर्ष से संबंधित रु. 165.96 करोड़ की अव्यय शेष राशि, कुल मिलाकर रु. 273.21 करोड़ है, संस्थान ने 31 मार्च, 2020 तक रु. 77.11² राशि उपयोग करके रु. 196.10 करोड़ राशि को अनुपयोगी बकाया रही।

घ. लेखों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव

पूर्ववर्ती पैराग्राफ में दिए गए खातों के संशोधन के बाद लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव कुछ नहीं है।

v. पूर्ववर्ती पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के अधीन रहते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा लेखों की पुस्तकों के साथ सामंजस्य में हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ एक साथ पढ़े गए और ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन और परिशिष्ट में उल्लिखित अन्य मामले, आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टि प्रदान करते हैं:

क. अब तक यह 31 मार्च 2020 तक हैदराबाद के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के मामलों की स्थिति की तुलन पत्र से संबंधित है; तथा

ख. अब तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए **अधिशेष** के आय और व्यय लेखा से संबंधित है।

महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय)

1. वेतन रु. 51,34,30,000 एवं सामान्य रु. 29,08,10,000 को मिलाकर कुल रु. 80,42,40,000

2. सामान्य एवं वेतन: रु. 74.55 करोड़ एवं पूंजी: रु. 2.56 करोड़ कुल: रु. 77.11 करोड़

परिशिष्ट

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:

संस्थान में कोई पृथक आंतरिक लेखा परीक्षा विंग नहीं है।

संस्थान के आंतरिक लेखापरीक्षा का आयोजन चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए किया गया था।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:

आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त होने के कारण थे- (1) कोई स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है (2) कोई अलग वस्तुसूची विभाग नहीं है (3) आईसीएआई एएस 15 का गैर अनुपालन (4) कोई आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल और अपने स्वयं के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है (5) सामंजस्य के बिना पुराने और शून्य अंतःशेष को आगे बढ़ाया गया (6) लगातार कई वर्षों से उचित खाता शेषों को सुधारा / बेचा नहीं गया (7) पीजीडीआरडीएम के शुल्क खाते के संबंध में रसीद पुस्तकें अपूर्ण हैं और अद्यतन नहीं हैं। इसके अलावा, डीईसी कार्यक्रम, कोई रसीद पुस्तकें नहीं रखी जाती हैं।

3. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:

वर्ष 2019-20 के लिए अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था।

4. सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:

वर्ष 2019-20 के लिए सूची का भौतिक सत्यापन पूरा हो गया और लेखापरीक्षा में कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं।

5. सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता:

संस्थान सांविधिक देय राशि का भुगतान नियमित रूप से कर रहा है।



निदेशक /सीईए

**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
(एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के लेखों पर सी एवं एजी के पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उत्तर**

लेखापरीक्षा पैरा का सार	संस्थान का उत्तर
हमने, 31 मार्च 2020 तक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद की संलग्न तुलन पत्र, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के तहत उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखों का लेखापरीक्षा किया है। लेखापरीक्षा को 2021-22 तक की अवधि के लिए सौंपा गया है। इन वित्तीय विवरणों में गुवाहाटी क्षेत्रीय केंद्र के खाते शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।	कोई टिप्पणी नहीं
2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों, लेखाकरण मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों की अनुरूपता आदि के संबंध में लेखांकन निरूपण पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (स्वामित्व और नियमितता) और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा-अभ्युक्तियाँ यदि कोई हो तो निरीक्षण रिपोर्ट / सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से सूचित की जाती है।	कोई टिप्पणी नहीं
3. हमने, भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया है। इन मानकों के लिए यह आवश्यक है कि हम वित्तीय विवरणों को सामग्री के गलत विवरणों से मुक्त करने के लिए उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, वित्तीय जानकारीयों में और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाली राशि शामिल हैं। लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।	कोई टिप्पणी नहीं
4. हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि: i. हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य से हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सर्वोत्तम थे;	कोई टिप्पणी नहीं

ii. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
iii. हमारी राय में, संस्थान द्वारा संस्थान के वित्त उप-नियम 31 के तहत आवश्यक रूप से खातों और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्डों का उचित रखरखाव किया है, अब तक यह ऐसी पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है।	कोई टिप्पणी नहीं
iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि: क. समेकित तुलन पत्र क.1 पूंजी और देयताएं क.1.1 वर्तमान देयताएं और प्रावधान: रु. 43.98 करोड़ क.1.1.1 इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय से संस्थान द्वारा प्राप्त निगरानी शुल्क के प्रति रु. 9.13 करोड़ की अंतःशेष राशि शामिल है जो चिह्नित विशिष्ट परियोजनाओं (एसजीएसवाई/डीडीयू-जीकेवाई) के लिए निर्धारित है और स्वीकृत विशिष्ट परियोजनाओं की निगरानी से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों/उद्देश्यों पर खर्च किए जाने हैं, जिन्हें चिह्नित निधि के बजाय वर्तमान देयताओं के तहत गलत रूप से वर्गीकृत किया गया, हालांकि लेखों के समान प्रारूप के अनुसार अनिवार्य (पेज 26) है। इसके परिणामस्वरूप रु. 9.13 करोड़ को वर्तमान देयताओं में घटाकर और चिह्नित निधि को बढ़ाकर दर्शाया गया है।	एनआईआरडीपीआर में डीडीयूजीकेवाई परियोजना सेल को एनआईआरडीपीआर को आवंटित राज्यों द्वारा डीडीयूजीकेवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (सीटीएसए) के रूप में कार्य करने के लिए किया गया है। मंत्रालय ने एनआईआरडीपीआर को 16 राज्य और एनएबीसीओएस जो नाबाई का एक संगठन है को शेष राज्य आवंटित किए हैं ताकि निगरानी और मूल्यांकन, वित्तीय लेखापरीक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, मंत्रालय को नीति समर्थन, राज्य डीडीयूजीकेवाई के लिए प्रायोगिक समर्थन आदि नामित गतिविधियों को पूरा करने के लिए सीटीएसए को प्रबंधित किया जाए, एनआईआरडीपीआर व्यय की जिम्मेदारी लेता है जिसके लिए मंत्रालय एनआईआरडीपीआर के सीटीएसए द्वारा निगरानी शुल्क के रूप में सहायता अनुदान जारी करता है। यह निगरानी शुल्क मंत्रालय और राज्यों द्वारा सभी राज्यों के लिए 75:25 के अनुपात में और पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में मंत्रालय और राज्यों द्वारा 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है। 'हिमायत' के मामले में जो कि जम्मू-कश्मीर का एक कौशल कार्यक्रम है, मंत्रालय द्वारा 100% निगरानी शुल्क वहन किया जाता है। इस अनुपात को बाद में बदल दिया गया है, जिसमें मंत्रालय 60% की सीमा तक लागत को पूरा कर रहा है और राज्य 40% की सीमा तक योगदान दे रहे हैं। जैसा कि ऊपर देखा गया है कि केवल 60% निगरानी शुल्क (परियोजना लागत का 1.5%) मंत्रालय से प्राप्त हो रहा है और शेष 40% राज्य द्वारा अपने स्वयं के राज्य संसाधनों से वहन किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से इस बात को सामने लाता है कि यह निगरानी शुल्क उन सेवाओं के बदले है जो सीटीएसए द्वारा प्रदान की जा रही हैं, न कि पूर्ण अनुदान। जब तक सीटीएसए कुशलतापूर्वक कार्यों का प्रबंधन करता है, तब तक निगरानी शुल्क में बचत होगी जो जाहिर तौर पर एनआईआरडीपीआर का राजस्व है। एनआईआरडीपीआर का सीटीएसए राज्यों और मंत्रालय की संतुष्टि के लिए प्रभावी ढंग से कार्यों का निर्वहन कर रहा है और इसलिए मंत्रालय और राज्य, डीडीयूजीकेवाई को लागू करने में एनआईआरडीपीआर के सीटीएसए के साथ निरंतर जुड़े रहते हैं। एनआईआरडीपीआर, मंत्रालय और राज्यों की संतुष्टि के लिए सीटीएसए के कार्यों को करने के लिए लगभग 100 उच्च स्तरीय पेशेवरों की सेवाएं लेता है। यह संख्या कार्यभार के आधार पर बढ़ाई जाएगी जो कि फिर से परियोजनाओं की संख्या पर निर्भर

	करती है। उन्हें आवश्यक आधारभूत संरचना और इसके रखरखाव के साथ सुविधा प्रदान की जाती है और उनके काम के लिए उनके संचालन का भी ध्यान रखा जाता है। एनआईआरडीपीआर के सीटीएसए द्वारा निगरानी शुल्क अर्थात् परियोजना लागत के 1.5% से इन सभी गतिविधियों की लागत का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निगरानी शुल्क चिह्नित निधि नहीं है और इसे वर्तमान देयताओं के तहत वर्गीकृत किया गया है। आगे प्रस्तुत है कि डीडीयूजीकेवाई के सीटीएसए को एक अलग लागत केंद्र के रूप में कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जाता है ताकि व्यय और इसकी दक्षता पर नजर रखी जा सके। प्राप्ति पक्ष में निगरानी शुल्क निर्धारित या सटीक रूप से अनुमानित नहीं है। यह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या पर निर्भर करता है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सामान्य अनुदान नियमित सहायता अनुदान के सामान्य प्रथा के खिलाफ निगरानी शुल्क की उपलब्धता की भी गारंटी नहीं है। मंत्रालय सीटीएसए के कार्यों को करने के लिए अतिरिक्त समर्थन जारी नहीं करेगा और सीटीएसए को कुल परियोजना लागत के 1.5% की लागत से ही प्रबंधन करने की उम्मीद है। अनुसूची एल6 में दर्शाए गए रु. 9,13,12,009/- की राशि में पहले से ही वितरित राशि के 1.5% की निगरानी शुल्क शामिल है। एनआईआरडीपीआर के डीडीयूजीकेवाई परियोजना कक्ष के कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार, उनका खर्च केवल निगरानी शुल्क के 1.5% में से ही पूरा किया जाएगा। संस्थान की चिह्नित निधि में मुख्य रूप से विशिष्ट गतिविधियों/ परियोजनाओं के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा जारी प्रमुख निधि शामिल हैं। चिह्नित निधि में अनिर्धारित डीडीयूजीकेवाई अनुदान राशि शामिल हैं (परियोजनाओं के लिए अनुसूची एल3 विशिष्ट अनुदान)। उपरोक्त के मद्देनजर यह दोहराया गया है कि निगरानी शुल्क चिह्नित निधि नहीं है और यह वाणिज्यिक अर्थों में सीटीएसए द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान किया गया शुल्क है और इसलिए किसी भी बचत या छोटी कमी एनआईआरडीपीआर के दायरे में होगी। इसलिए वर्तमान देयता के रूप में निगरानी शुल्कों का संतुलन दिखाने का लेखा-जोखा उचित और मान्य है। यह प्रस्तुत करना उचित है कि तुलन पत्र में कोई प्रभाव नहीं है। चिह्नित निधि और वर्तमान देयताएं दोनों ही देनदारियों का हिस्सा बनते हैं। हालांकि, निगरानी शुल्क एक विशिष्ट परियोजना देयता नहीं है और इसे चिह्नित निधि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। डीडीयू जीकेवाई निगरानी शुल्क के प्रति प्राप्ति को डीडीयू जीकेवाई इकाई के खर्च को पूरा करने के लिए अलग रखी गई है और उसी के एक हिस्से को समीक्षा/ कार्य योजना/ व्यय प्रक्षेपण के आधार पर संस्थान की आय में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिए, वित्तीय वर्ष के
--	--

	समापन पर एस2233 निगरानी प्रभार के शेष को वर्तमान देयता के रूप में माना जाता है, लेकिन इसे चिह्नित निधि के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, अनुसूची एल6 के तहत दर्शाए गए रू.9,13,12,009/- का विवरण सही है।
ख. सामान्य 1. लेखांकन मानक -15 के अनुसार अनिवार्य होने के बावजूद सेवानिवृत्ति लाभ के प्रति प्रावधान को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार नहीं किया गया।	सेवानिवृत्ति लाभों अर्थात उपदान, पेंशन और अवकाश नकदीकरण के लिए आवश्यक प्रावधान का बीमांकिक वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान एक प्रमाणित कार्यक्षेत्र के माध्यम से आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2019 को अनुमानित देयता 432.21 करोड़ रुपये (उपदान- 30.41 करोड़ रुपये, मौजूदा पेंशन- 97.30 करोड़ रुपये, मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन- रू.291.00 करोड़ और अवकाश नकदीकरण- रू.33.50 करोड़) रहा है। जैसा कि संस्थान मुख्य रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, इसकी सभी गतिविधियों के लिए, मंत्रालय से सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता के वित्तपोषण के लिए अलग से अनुदान जारी करने के लिए अनुरोध किया गया था। मामले को कार्यकारी परिषद और और एमओआरडी के समक्ष भी रखा गया था। इसलिए, धनराशि जारी करने पर एमओआरडी द्वारा लंबित निर्णय, सेवानिवृत्ति लाभ पर देयता खातों की पुस्तकों में प्रदान नहीं की गई है। उपरोक्त के बावजूद, लेखों पर टिप्पणी- क्र.सं.14(सी) में एक विस्तृत प्रकटीकरण किया गया है जैसा कि खातों के एक समान प्रारूप में आवश्यक है जो बताता है कि लेखाकरण मानकों के गैर-पालन के मामले में वित्तीय प्रभाव के साथ मानकों से जारी करने का उचित प्रकटीकरण किया जाए।
2. परामर्शी परियोजना (एल4), देयताएं और प्रावधान (एल6) और पारगमन लेखा (एल 7) (वार्षिक लेख की पृष्ठ 14 और 15) में रू. 69,89,903 का शून्य शेष राशि है, जिन्हें गलत तरीके से प्राप्य के रूप में माना जाता था और चालू संपत्तियों के पक्ष के लिए प्लस शेष के रूप में स्थानांतरित किया गया। इसे प्राप्य के रूप में गलत माना गया माना जाता था और अतिरिक्त व्यय की प्राप्ति/ प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित पक्षों/ प्रायोजक एजेंसियां से पुष्टि प्राप्त किए बिना किया गया था। इन शून्य अंतःशेषों की समीक्षा नहीं की गई और उनके अनुसार हिसाब लगाया गया।	कुछ परियोजनाएं घाटे में जा सकती हैं और परियोजनाओं के बंद होने तक संपत्ति के तहत नकारात्मक संतुलन दिखाना होगा। जैसा कि परियोजना संतुलन (सकारात्मक/ नकारात्मक) की प्रकृति वर्ष-दर-वर्ष बदल सकती है, सभी परियोजनाएं प्रासंगिक अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। यह वास्तव में सभी परियोजनाओं की पूरी तस्वीर उनके संतुलन के साथ देता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। एल4 अनुसूची में देयताओं के तहत सकारात्मक शेष के खिलाफ इस तरह के नकारात्मक संतुलन स्थापित नहीं किए जाते हैं, लेकिन उन परिसंपत्तियों के तहत दर्शाए जाते हैं जो एक सही लेखांकन उपचार हैं। लेखों पर टिप्पणी- क्र.सं.14(जे) में दिए गए प्रकटीकरण के अनुसार, तृतीय पक्षों से प्राप्तियां और परियोजनाओं /कार्यक्रमों के शेष से संबंधित परिसंपत्तियां पुष्टि के अधीन हैं। इसके अलावा, दो दशकों से इस पद्धति का लगातार पालन किया जा रहा है। सीएजी द्वारा एसएआर प्रमाणीकरण दिया गया है।

3. परामर्शी परियोजना (एल4), देयताएं और प्रावधान (एल6) और पारगमन लेखा (एल 7) (वार्षिक लेखे की पृष्ठ 14 और 15) में रु. 69,89,903 का शून्य शेष राशि है, जिन्हें गलत तरीके से प्राप्य के रूप में माना जाता था और चालू संपत्तियों के पक्ष के लिए प्लस शेष के रूप में स्थानांतरित किया गया। इसे प्राप्य के रूप में गलत माना गया माना जाता था और अतिरिक्त व्यय की प्राप्ति/ प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित पक्षों/ प्रायोजक एजेंसियों से पुष्टि प्राप्त किए बिना किया गया था। इन शून्य अंतःशेषों की समीक्षा नहीं की गई और उनके अनुसार हिसाब लगाया गया।	कुछ परियोजनाएं घाटे में जा सकती हैं और परियोजनाओं के बंद होने तक संपत्ति के तहत नकारात्मक संतुलन दिखाना होगा। जैसा कि परियोजना संतुलन (सकारात्मक/ नकारात्मक) की प्रकृति वर्ष-दर-वर्ष बदल सकती है, सभी परियोजनाएं प्रासंगिक अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। यह वास्तव में सभी परियोजनाओं की पूरी तस्वीर उनके संतुलन के साथ देता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। एल4 अनुसूची में देयताओं के तहत सकारात्मक शेष के खिलाफ इस तरह के नकारात्मक संतुलन स्थापित नहीं किए जाते हैं, लेकिन उन परिसंपत्तियों के तहत दर्शाए जाते हैं जो एक सही लेखांकन उपचार हैं। लेखों पर टिप्पणी- क्र.सं.14(जे) में दिए गए प्रकटीकरण के अनुसार, तृतीय पक्षों से प्राप्तियां और परियोजनाओं/कार्यक्रमों के शेष से संबंधित परिसंपत्तियां पुष्टि के अधीन हैं। इसके अलावा, दो दशकों से इस पद्धति का लगातार पालन किया जा रहा है। सीएजी द्वारा एसएआर प्रमाणीकरण दिया गया है।																		
4. 31.3.2020 को कर्मचारी और पेंशनभोगियों को चिकित्सा संचित निधि से प्राप्त अंशदान को रु.33,46,46 (वार्षिक लेखे की पृष्ठ संख्या 25) के रूप में दिखाया गया था, जबकि प्राप्त वास्तविक अंशदान रु.44,74,400 रहा है। रु.11,28,200 के अंतर के समाधान की जरूरत है।	इस संबंध में उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और लेखापरीक्षा के लिए सूचित किया जाएगा।																		
5. भविष्य निधि की प्राप्ति और भुगतान खाते के अनुसार कर्मचारियों द्वारा योगदान रु.6,41,45,641 था। हालाँकि, वास्तविक योगदान रु.5,27,27,310 था। रु.1,14,18,331 के अंतर को समेटने की आवश्यकता है।	इस संबंध में उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और लेखापरीक्षा के लिए सूचित किया जाएगा।																		
ग. अनुदान-सहायता: वर्ष के दौरान प्राप्त की गई कुल रु.80.42¹ करोड़ की कुल अनुदान सहायता में से रु.26.83 करोड़ की आंतरिक प्राप्तियों के साथ और पिछले वर्ष से संबंधित रु.165.96 करोड़ की अप्रयुक्त शेष राशि, कुल मिलाकर रु.273.21 करोड़ है, संस्थान ने 31 मार्च, 2020 तक रु.77.11² राशि उपयोग करके रु.196.10 करोड़ राशि अव्यय रही।	वार्षिक लेखा 2019-20 को संशोधित किया गया है। तदनुसार, तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है: (राशि रुपये में) वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त अनुदान सहायता राशि <table border="0"> <tr> <td>वेतन</td> <td>: 51.34 करोड़</td> </tr> <tr> <td>सामान्य</td> <td>: 29.08 करोड़</td> </tr> <tr> <td>आंतरिक प्राप्तियां</td> <td>: 27.54 करोड़</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>: 107.96 करोड़</td> </tr> </table> व्यय: <table border="0"> <tr> <td>वेतन</td> <td>: 52.36 करोड़</td> </tr> <tr> <td>सामान्य</td> <td>: 27.08 करोड़</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>: 79.44 करोड़</td> </tr> </table> निवल आय : 27.54 करोड़ 31-03-2020 को अनुदानों के खर्च नहीं की गई शेष राशि को 2020-21 को ले जाया गया : 41.61 लाख योजना पूंजीगत अनुदान का ओबी: 49.44 करोड़ <table border="0"> <tr> <td>ब्याज आय:</td> <td>1.50 करोड़</td> </tr> <tr> <td>व्यय</td> <td>2.56 करोड़</td> </tr> </table>	वेतन	: 51.34 करोड़	सामान्य	: 29.08 करोड़	आंतरिक प्राप्तियां	: 27.54 करोड़	कुल	: 107.96 करोड़	वेतन	: 52.36 करोड़	सामान्य	: 27.08 करोड़	कुल	: 79.44 करोड़	ब्याज आय:	1.50 करोड़	व्यय	2.56 करोड़
वेतन	: 51.34 करोड़																		
सामान्य	: 29.08 करोड़																		
आंतरिक प्राप्तियां	: 27.54 करोड़																		
कुल	: 107.96 करोड़																		
वेतन	: 52.36 करोड़																		
सामान्य	: 27.08 करोड़																		
कुल	: 79.44 करोड़																		
ब्याज आय:	1.50 करोड़																		
व्यय	2.56 करोड़																		

	योजना पूंजीगत अनुदान के शेष: 48.37 करोड़ पिछले वर्ष अर्थात 2018-19 से संबंधित रु.65.96 करोड़ खर्च न की गई शेष जैसा कि लेखापरीक्षा टिप्पणी में दिया गया है, लेखों का सही आंकड़ा नहीं है। उपरोक्त कथन लेखों का सही आंकड़ा है।
घ. लेखों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव पूर्ववर्ती पैराग्राफ में दिए गए खातों के संशोधन के बाद लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव कुछ नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
v. पूर्ववर्ती पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के अधीन रहते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा लेखों की पुस्तकों के साथ समझौते में हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
vi. हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ एक साथ पढ़े गए और ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन हैं और परिशिष्ट में उल्लिखित अन्य मामले, आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टि प्रदान करते हैं:	कोई टिप्पणी नहीं
क. अब तक यह 31 मार्च 2020 तक हैदराबाद के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के मामलों की स्थिति की तुलन पत्र से संबंधित है; तथा	
ख. अब तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय लेखा से संबंधित है।	
----- 1. वेतन रु. 51,34,30,000 एवं सामान्य रु. 29,08,10,000 को मिलाकर कुल रु. 80,42,40,000 2. सामान्य एवं वेतन: रु. 74.55 करोड़ एवं पूंजी: रु. 2.56 करोड़ कुल: रु. 77.11 करोड़	

परिशिष्ट

लेखापरीक्षा पैरा का सार	संस्थान का उत्तर
1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता: संस्थान में कोई पृथक आंतरिक लेखा परीक्षा विंग नहीं है। संस्थान के आंतरिक लेखापरीक्षा का आयोजन चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए किया गया था।	2019-20 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा मेसर्स जीसी रायलू एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा आयोजित की गई थी और फील्ड ऑडिट पार्टी को 2019-20 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता: आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त होने के कारण थे- (1) कोई स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है (2) कोई अलग वस्तुसूची विभाग नहीं है (3) आईसीएआई एएस 15 का गैर अनुपालन (4) कोई आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल और अपने स्वयं के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है (5) सामंजस्य के बिना पुराने और शून्य अंतःशेष को आगे बढ़ाया गया (6) लगातार कई वर्षों से उच्चतम खाता शेषों को सुधारा /बेचा नहीं गया (7) पीजीडीआरडीएम के शुल्क खाते के संबंध में रसीद पुस्तकें अपूर्ण हैं और अद्यतन नहीं हैं। इसके अलावा, डीईसी कार्यक्रम, कोई रसीद पुस्तकें नहीं रखी जाती हैं।	(1) 2019-20 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा मेसर्स जीसी रायलू एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा आयोजित की गई थी और फील्ड ऑडिट पार्टी को 2019-20 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। (2) संबंधित विभागों अर्थात् दवाईयों के लिए स्वास्थ्य केन्द्र, नागरिक वस्तुओं के लिए रखरखाव इकाई, इलेक्ट्रिकल सामग्रियों के लिए विद्युत उप-स्टेशन, पत्रिकाओं द्वारा पुस्तकालय, लेखन और उपभोक्ता सामग्रियों के लिए भंडारण अनुभाग द्वारा सूची का रखरखाव किया जाता है। केंद्रीकृत इन्वेंटरी विभाग में तकनीकी सूची को बनाए रखना व्यावहारिक नहीं है। केवल संबंधित तकनीकी विभाग ही इस तरह की सूची को बनाए रख सकते हैं। 31-03-2020 के विभिन्न सूचियों पर अंतःशेष रिपोर्ट को क्षेत्र लेखापरीक्षा पक्ष को प्रस्तुत किया गया है। (3) लेखों के एक समान प्रारूप में जैसा आवश्यक है उसके अनुसार लेखों पर टिप्पणी- क्र.सं.14(सी) में विस्तृत प्रकटीकरण किया गया है जो बताता है कि लेखा मानकों के गैर-पालन के मामले में वित्तीय प्रभाव के साथ मानक से प्रस्थान का उचित प्रकटीकरण किया जाए। (4) की गई कार्यवाही को लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। (5) और (6) बजटीय नियंत्रण और सही लेखा-जोखा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मद के लिए अलग-अलग खाताबही रखे गए हैं। उसी की समीक्षा की जाएगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। (7) लेखापरीक्षा अवलोकन नोट किया गया है। पीजीडीआरडीएम और डीईसी कार्यक्रम के प्रत्येक छात्र के लिए रसीदें लिखी गई हैं। अगले अंकेक्षण में उसे प्रस्तुत किया जाएगा।
3. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली: वर्ष 2019-20 के लिए अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था।	कोई टिप्पणी नहीं
4. सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली: वर्ष 2019-20 के लिए सूची का भौतिक सत्यापन पूरा हो गया और लेखापरीक्षा में कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं।	कोई टिप्पणी नहीं
5. सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता: संस्थान सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमित है।	कोई टिप्पणी नहीं


www.nirdpr.org.in



प्रशिक्षण और
क्षमता निर्माण



अनुसंधान
और अनुप्रयोग
विकास



नीति प्रयोजन
और समर्थन



प्रौद्योगिकी
अंतरण



शैक्षणिक
कार्यक्रम



अभिनव
कौशल और
आजीविका